न्यायालय : जिला न्यायाधीश–3 सह अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, नवादा।

उपस्थितः उमेश कुमार DASJ-III

सत्र वाद संख्या– 318/2022

सरकार बनाम अवधेश सिंह

{निर्णय तिथि :– 12.08.2026}

फॉर्म–ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– तृतीय, नवादा (बिहार) **उपस्थितः– उमेश कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जिला नवादा।** **{निर्णय तिथिः– 12.08.2026}** {सत्र वाद संख्या– 318/2022, निबंधन संख्या– 318/2022} (थाना काशीचक, जिला नवादा के अपराध कमांक 103/2022, जी0आर0 कमांक 475/2022 से यह सत्र प्रकरण उदभूत हुआ है)	
परिवादी/अभियोजक	**बिहार राज्य (द्वारा, रानी देवी, ग्राम खखरी, थाना काशीचक, जिला नवादा)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अजीत कुमार, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	**1. उमेश सिंह, बल्द स्व0 भगीरथ सिंह, उम्र–55 वर्ष, 2. अरूण कुमार, बल्द स्व0 अवधेश सिंह, उम्र– 32 वर्ष 3. कुन्दन कुमार, बल्द अवधेश सिंह, उम्र–25 वर्ष 4. अवधेश सिंह, बल्द–स्व0 भगीरथ सिंह, उम्र– 65 वर्ष एवं 5 श्रवण कुमार, बल्द स्व0 भगीरथ सिंह, उम्र– 35 वर्ष सभी निवासी ग्राम दौलाचक, थाना काशीचक, जिला नवादा**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अजय कुमार, विद्वान अधिवक्ता

फॉर्म–बी

घटना की तिथि	28-04-2022
प्राथमिकी की तिथि	28-04-2002
आरोप पत्र की तिथि	12-08-2022 and 15-12-2022
आरोप गठन की तिथि	12-04-2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	13-06-2023
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	07-08-2026
निर्णय तिथि	12-08-2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	**17.08.2026**

अभियुक्तों का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	कुन्दन कुमार	**04.05. 2023**	–	302/34 भा0द0स 27 आयुध अधि0	**दोषसिद्ध**	–	–
2.	अरूण	**04.05.**	–	वही	**वही**	–	–

	कुमार	**2023**					
3.	उमेश सिंह	**15.06. 2022**	–	वही	**वही**	–	–
4.	अवधेश सिंह	**16.05. 2022**	–	वही	**वही**	–	–
5.	श्रवण कुमार	**04.05. 2023**	**16.05. 2023**	वही	**वही**	–	–

निर्णय

1. अभियुक्तगण उमेश सिंह, अरूण कुमार, अवधेश सिंह, कुन्दन कुमार एवं श्रवण कुमार का धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध के आरोप में विचारण किया गया।

2. अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है : सूचिका रानी देवी द्वारा दिनांक 28.04.2022 को थाना काशीचक जिला नवादा के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज करायी कि दिनांक 28.04.2022 को समय करीब 17.10 बजे संध्या मे सूचिका के भाई त्रिपुरानी सिंह उर्फ अकलु सिंह को पाली खंदा चेमनी भट्टा मे उत्तर पूरब लगभग 300 मीटर की दूरी पर उमेश सिंह, अरूण कुमार, अवधेश सिंह, पुरूषोत्तम कुमारअजय कुमार, कुंदिन कुमार, तललन कुमार सभी सूचिका के भाई को ईंट–पत्थर से मारा एवं श्रवण कुमार रॉड से माथे पर प्रहार किया। सभी ग्राम दौलाचक, थाना–काशीचक सभी मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे और हत्या कर मोटरसाईकिल से भाग गये। घटना के समय सूचिका एवं उसका भतीजा नीतिश कुमार भाई को खोजते हुए पाली खंदा पहुंची थी। सूचिका के भाई की हत्या उसके सामने की गयी तथा ये सभी लोग सूचिका के भाई की हत्या की धमकी देते थे। सूचिका और उसका भतीजा घटना को अपने ऑखों से देखे हैं सूचिका एवं उसके भतीजा पर भी वे लोग गोली चलाये परन्तु गोली नही लगा। गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग देखने आये परन्तु वे लोग भाग गये। इस घटना मे जानकी देवी, शान्ति देवी, गौतम सिंह एवं कुमकुम देवी का भी हाथ है। घटना का कारण यह है कि ये लोग जबरदस्ती जमीन दखल किये हुये हैं। सूचिका की मॉ के द्वारा जमीन संबंधित मुकदमा नवादा न्यायालय मे दायर कराया गया है जिसका अभी फैसला नही हुआ है।

सूचिका द्वारा प्रस्तुत उक्त फर्द बयान के आधार पर थाना काशीचक, जिला नवादा के अपराध क्रमांक 103/2022 धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखवद्ध किए गए और अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए दिनांक 06.08.2005 को अभियुक्तगण उमेश सिंह, अरूण कुमार, अवधेश सिंह, कुन्दन कुमार एवं श्रवण कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र क्रमांक 315/2022 धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया तथा पूरक आरोप पत्र संख्या 537/22, धारा 302, 34 एवं 27 आयुध अधिनियम, दिनांक 25.01.2023 की प्रतिलिपि दिनांक 29.02.2023 को समर्पित किया गया।

3. उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 18.08.2022 को न्यायालय अनुमंडल न्यादिक दंडाधिकारी, नवादा द्वारा अभियुक्तगण अवधेश सिंह उर्फ भासो सिंह एवं उमेश सिंह उर्फ घुटन सिंह के विरूद्ध धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध कारित करने का संज्ञान लिया गया और वाद को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, षष्ठ, नवादा के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, षष्ठ, नवादा द्वारा दिनांक 18.01.2023 को अभियुक्तगण श्रवण कुमार, कुन्दन कुमार एवं

अरूण सिंह के विरूद्ध धारा 302/34 एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, षष्ठ, नवादा के द्वारा वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 28.02.2023 को सत्र न्यायालय, नवादा के समक्ष उपार्पित किया गया जहां से यह सत्र प्रकरण भिन्न–भिन्न न्यायालय में स्थानांतरित होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवादा के आदेश दिनांक 28.03.2025 के परिपालन में दिनांक 02.04.2025 को विचारण और निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुआ।

4. प्रकरण के अभियुक्तगण अवधेश सिंह उर्फ भासो सिंह, उमेश सिंह उर्फ घुटन सिंह, श्रवण कुमार, कुन्दन कुमार एवं अरूण कुमार का तत्कालीन न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया तथा अभियुक्तगण का अभिवाक दर्ज किया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 07.02.2025 को अभियुक्तगण अवधेश सिंह उर्फ भासो सिंह, उमेश सिंह उर्फ घुटन सिंह, श्रवण कुमार, कुन्दन कुमार एवं अरूण कुमार का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखवद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा मिथ्या रिर्पोट दर्ज कराये जाने का तथ्य प्रकट करते हुए अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया गया और बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

6. इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

विनिश्चय (Finding)

7. इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र 08 (आठ) साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01 गुलशन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–02 नीतिश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–3 अंकुल कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–4 शैला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–5 रानी देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–6, डॉ नीरज कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–7 नरेन्द्र प्रसाद एवं अभियोजन साक्षी संख्या–8 नवीन कुमार सिन्हा का परीक्षण कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है। 1 p1/pw7 साक्षी नरेन्द्र प्रसाद के पहचान पर फर्दबयान पृष्ठांकन सहित, 2. p3/pw7 औपचारिक प्राथमिकी पर साक्षी नरेन्द्र प्रसाद का हस्ताक्षर, 3. p1/pw7 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट साक्षी नरेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर सहित, 4. p4/pw7 डेड बॉडी चालान, 5. p5/pw7 पोस्टमार्टम होने के उपरांत शव ले जाने के समय बनाये गये बयान हस्ताक्षर सहित, 6. p6/pw7 जप्ती सूची साक्षी के हस्ताक्षर सहित, 7. P7/pw7 आरोप पत्र संख्या–315/22 साक्षी के हस्ताक्षर सहित, 8. p1/pw8 आरोप पत्र संख्या– 537/22, 9. प्रदर्श 01 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर pw1 गुलशन कुमार का हस्ताक्षर, 10. प्रदर्श 1/1 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर गुलशन कुमार के ममेरा भाई नीतिश कुमार का हस्ताक्षर, 11. प्रदर्श 2/1 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर pw2 नीतिश कुमार का हस्ताक्षर, 12. प्रदर्श 5/1 Pw5 रानी देवी के पहचान पर लिखित बयान पर बनाये गये साक्षी का हस्ताक्षर, 13. प्रदर्श p1/pw6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

8. अभियोजन साक्षी संख्या–01 गुलशन कुमार, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 28.04.2026 को 5.10 बजे शाम की है। उस समय मैं पाली खंदा मे चिमनी भट्टा पर था। मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अक्लू सिंह भट्टा पर ही थे तथा इनके साथ आए उमेश सिंह गाली–गलौज किया कि साला तुमको मार देंगे और वह अपनापिस्टलसे एक गोली कनपट्टी मे मारा और

उसके बाद अरूण कुमार आया और दूसरा गोली पेट मे मार दिया और तीसरा गोली अवधेश सिंह माथा पर मारा तथा चौथा गोली पुरूषोत्तम कुमार ने कनपट्टी मे मारा और पांचवा गोली अजय कुमार ने कनपट्टी मे ही मारा और छठ्ठा गोली कुन्दन कुमार कनपट्टी मे मारा और सातवा तुल्ल्म कुमार उर्फ उत्तम कुमार ने ईंट–पत्थर सेमारा और आठवाश्रवण कुमार रॉडसे माथा पर वार किया। इन सभी मुदालय ने मेरे मामा को गाली ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दिया और मोटरसाईकिल से भाग गया। हल्ला–गुल्ला किए तो गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अक्लू सिंह घटना स्थल पर ही मर गये। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया तथा पुलिस आयी और पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल, नवादा भेजे। मेरे मामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सदर अस्पताल, नवादा मे बना था जिसे मैं पढ़कर और समझकर अपना हस्ताक्षर बनाया था जिसे मैं पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। मेरे अलावा मेरा ममेरा भाई नीतिश ने भी हस्ताक्षर बनाया था जिसे भी मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श 1/1 अंकित किया जाता है। उसके बाद मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अक्लू सिंह का पोस्टमार्टम हुआ और मेरे मामा के शव को हमलोगों को सौंपा गया और हमलोग शव को लेकर गये। घटना का कारण मेरे मामा और इनके गोतिया के बीच जमीनी विवाद है इसी कारण से मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अक्लू सिंह की हत्या कर दी गयी। आज न्यायालय मे उपस्थित पांचों मुदालय को मैं पहचानता हूँ तथा अन्य को देखकर पहचान लूंगा। इस घटना मे जानकी देवी पति अवधेश सिंह, शांति देवी, पति स्व0 भगीरथ सिंह, कुमकुम देवी, पति मिथलेश सिंह, गौतम सिंह, पे0 अवधेश सिंह एवं किशोरी सिंह, पे0 अर्जुन सिंह का भी हाथ था जिसे पुलिस ने फाईनल कर दिया।

अपने प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अक्लू सिंह दौलाचक के रहने वाले थे तथा मैं खखरी गांव का रहने वाला हूँ। दौलाचक एवं खखरी गांव के बीच की दूरी एक किलोमीटर है। खखरी गांव मे मेरा खेती बाड़ी है तथा मैं खेती बाड़ी नही करता हूँ। चिमनी भट्टा पाली गांव के पाली खंदा मे है जहां से खखरी गांव की दूरी दो किलोमीटर है। दौलाचक से चिमनी भट्टा एक किलोमीटर दूर पड़ता है। चिमनी भट्टा बमबम सिंह का है। बमबम सिंह के यहां मेरा पहले से कोई आना–जाना नही होता था। घटना के दिन ही पहली बार चिमनी भट्ठा पर नही गये थे इसके पहले भी मैं चिमनी भट्ठा पर जाता था। बमबम सिंह के चिमनी पर घटना स्थल पर इसलिए गया था कि मुझं पता चला कि मेरे मामा भी चिमनी भट्ठापर गये हैं। मेरे और परिवार वाले लोगों को भी पता चला कि मेरे मामा चिमनी भट्ठा पर गये थे। टुनी देवी, रानी देवी, अंकुल कुमार, नीतिश कुमार, शैला देवी, और मुझे इस बात का पता चला कि मेरे मामा चिमनी भट्ठा पर ये थे, ये सभी लोग उस दिन चिमनी भट्ठा पर गये थे। घटना स्थल के उत्तर मे सत्यनारायण सिंह का खेत, दक्षिण मे राजनंदन सिंह का खेत, पूरब मे उमेश सिंह का खेत एवं पश्चिम मे पाली जाने वाली पक्की सड़क है। उमेश सिंह ने सिर्फ एक गोली चलाया। अरूण कुमार दो गोली चलाया जिससे एक पेट मे मारा और एक हवा मे फायरिंग किया। अवधेश सिंह एक गोली चलाया। पुरूषोत्तम कुमार एक गोली चलाया। अजय कुमार ने एक गोली चलाया। कुन्दन कुमार ने एक गोली चलाया। सब मिलाकर वहां पर 7 गोली चलाया गया था। मुदालय ने मेरे मामा को 5 से 7 फीट की दूरी पर दो तीन तरफ से घेरे हुए थे। मेरे मामा को गोली लगने से शरीर से खुन का फब्बारा चलना शुरू हो गया। जमीन पर एक फीट के अन्दर से खुन का धब्बा गिरा हुआ था। मेरे मामा को पहला गोली लगा तो चित भार गिर गये। मुंह आसमान की ओर और पीठ जमीन पर था। बाकी सभी मुदालय लोग ने गिरे हुये अवस्था मे ही मेरे मामा को गोली मारा था। मेरे मामा के शरीर मे गोली लगा, पैर मे गोली नही लगा और पेट मे एक गोली लगा था। गिरे हुए अवस्था मे मुदालय ने गोली चलाया तो सभी गोली मेरे मामा के शरीर मे लगा जमीन मे कोई गोली नही लगा। मेरे मामा एवं अभियुक्तों के बीच जमीन का विवाद 10–15 वर्षो से चल रहा है। भगीरथ सिंह जिनकी हत हुई इनके हत्या मे मेरे पिता जी अभियुक्त थे और मेरे पिता को माननीय न्यायालय से सजा भी हुआ था। मेरे पिता को सजा

2011 मे हुआ था। काशीचक थाना 92/2022 जो मुदालय के द्वारा किया गया था जिसमें मै और मेरे पिता जी मुदालय है और मुझे पुलिस के द्वारा फाईनल कर दिया गया था। ऐसी बात नही है कि मुदालय के द्वारा मेरे पर केस भी किया गया ओर मेरे पिता को भी इनके द्वारा किये गये केस मे सजा हुआ इसी को लेकर सभी मुदालय को इस केस मे झूठा फंसा दिया हूँ और आज न्यायालय मे झूठी गवाही दिया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–02 नीतिश कुमार, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 28.04.2022 की शाम 5.10 बजे की है उस समय मैं पली खंदा चिमनी भ्ठठा के उत्तर पूरब लगभग 300 मीटर की दूरी पर था। उस समय मेरे पिता जी त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलू सिंह वहीं पर थे। उसी समय अभियुक्त उमेश सिंह आया और गाली–गलौज करने लगा कि साला तुमको मार देंगे और इतना कहते हीं उमेश सिंह ने पिस्तौल से मेरे पिता त्रिपुरारी सिंह के कनपट्टी मे पहला गोली मार दिया, दूसरा गोली मेरे पिता जी को अरूण कुमार ने पेट मे मारा और तीसरा गोली अवधेश सिंह मे मेरे पिता के माथा पर मारा और चौथा गोली मेरे पिता को पुरूषोत्तम कुमार ने कनपट्टी मे मारा और पांचवा गोली अजय कुमार ने मेरे पिता के कनपटी पर ही मारा और छठा गोली कुंदन कुमार मेरे पिता के कनपटी पर मारा। टुलन कुमार उर्फ उत्तम कुमार ने मेरे पिता को ईंट–पत्थर से से मारा। श्रवण कमार ने लोहे के रॉड से मेरे पिता के सिर पर मारा। जब हमलोग हल्ला किये तो गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो सभी अभियुक्तगण मोटरसाईकिल से भाग गया। मेरे पिता जी की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी। इस घटना मे सम्मिलित इस घटना मे जानकी देवी पति अवधेश सिंह, शांति देवी, पति स्व0 भगीरथ सिंह, कुमकुम देवी, पति मिथलेश सिंह, गौतम सिंह, पे0 अवधेश सिंह एवं किशोरी सिंह, पे0 अर्जुन सिंह भी सम्मिलित थे। ये सभी लोग बोल रहे थे मारो–मारो। घटना के बाद हमलोग घटना की सूचना पुलिस को दिये थे। पुलिस आयी और घटना स्थल पर ही मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाया। मैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर बनाया और मेरा फुफेरा भाई भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पढ़कर अपना हस्ताक्षर बनाया था। गवाह के पहचान पर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर गवाह के हस्ताक्षर को पी0डब्लू 2/1 अंकित किया गया। आज अभियुक्त उमेश सिंह, अवधेश सिंह, श्रवण सिंह और कुंदन कुमार न्यायालय मे हाजिर है जिन्हें पहचानते हैं। अगर अन्य अभियुक्तगण भी न्यायालय मे उपस्थित रहते तो देखकर पहचान जाते।

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय मेरा उम्र 17 वर्ष था। मैं मैट्रिक पास था लेकिन इंटर मे नाम नही लिखाया था। घटना की सूचना पुलिस को मैने मोबाईल से दिया था उसका नंबर याद नही है, क्योंकि वह मोबाईल हमेशा घर पर ही रहता है और पूरा परिवार उसका उपयोग करता है। मोबाईल पर ही थाना प्रभारी काशीचक से बात हुई थी तथा उनको घटना की पूरी जानकारी मोबाईल पर ही दिया था। सूचना देने के 15 मिनट के बाद पुलिस घटना स्थल पर पह्चुंची। वहां पर 50–60 लोग उपस्थित थे। ज्यादा लोग पाली गांव के थे। मैं पाली गांव के किसी व्यक्ति का नाम नही बता सकता हूँ। घटना स्थल पर मेरे पिता जी का मोबाईल मिला था। उक्त मोबाइल का पुलिस ने जप्ती सूची बनाया था। इसके अलावा टीशर्ट, लुंगी एवं गमछी का जप्ती सूची बनाया गया था। गमछी पूरा खुन से लाल था। टीशर्ट पर खुन का धब्बा था। गमछी मे छेद नही था। टीशर्ट मे छेद हुआ था। पुलिस वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत की यह मुझे पता नही है। इस केस की मुदई मेरी फुआ है। आरोप पत्र की अन्य गवाह उनी देवी मेरी मॉ है। अंकुल कुमार मेरा अपना भाई है। गुलशन कुमार मेरा फुफेरा भाई है जो सूचिका का लड़का है। कितना जमीन का झगड़ा है मुझे नही पता है। मैं समझने ुझने लायक 17 वर्ष के बाद हुआ। मुझे नही पता कि मुदालय लोग मेरे जमीन को कितने दिन से कब्जा मे लिये है। मैं खेत पर नही गया हूँ और नही देखा हूँ। मै 5 साल की उम्र से नवादा स्थित शिवनगर मुहल्ला मे होस्टल मे रहता था। घटना के समय इंटर विद्यालय चंडीनोवा मे मैं पढ़ता था।

जप्त मोबाईल की मुक्ति हेतु आवेदन दिा गया है या नही मैं नही बता सकता हूँ। मैं नही जातना हूँ कि जमीन का मुकदमा मुदालय के पक्ष मे नवादा दिवानी न्ऱायालय मे कर दिया गया है। परिवार बाले मे मुझे कभी नही बताया कि जमीन का फेसला मुदालय के पक्ष मे हो गया है तथा यह भी नही बताया कि मुदालय लोग कितना जमीन कब्जा किये हुए है। घटना स्थल पर जिस समय पुलिस पहुंची उस समय थोड़ा अंधेरा हो गया था। ऐसी बात नही है कि घटना स्थल से मेरा गांव तीन किलोमीटर दूर है तथा ग्राम खखरी घटना स्थल से तीन–चार किलोमीटर दूर है। मुझे नही पता है कि दोनो पक्षों मे पहले से मुकदमा है। घटना स्थल पर मेरे सूचना` बाद एक गाड़ी मे 7–8 पुलिस आयी थी। थाना प्रभारी आये थे या नही मुझे नही मालूम है। जो भी पुलिस आई थी उनको मैने बताया कि घटना की सूचना मैने ही दिया है। पुलिस के पूछने पर मैने घटना की सारी बात बतायी। मेरे बताये अनुसार पुलिस ने सारी बातों को लिखा। उस बयान पर मैने दस्तखत नही किया। उक्त बयान पर किसने हस्ताक्षर या टिप्पा दिया मैं नही बता सकता। पुलिस द्वारा संध्या 5.20 से 5.30 तक मेरा बयान लिया उसके बाद गुलशन कुमार, अंकुल कुमार, रानी देवी, शैला देवी, उनी देवी का बयान लिया गया। मेरे बयान के बाद किस–किस क्रम मे अन्य का बयान लिया गया मैं नही बता सकता। उक्त बयान मे पेरे अलावा परिवार के अन्य किस सदस्य ने हस्ताक्षर किया मैं नही बता सकता। इस केस के पहले दोनो पक्षों के बीच कितना मुकदमा चल रहा है मुझे नहीं पता। कभी भी केस मुकदमा के बारे मे मेरे परिवार द्वारा मुझे नही बताया गया। इस केस के मुदालय अवधेश सिंह की पत्नी जानकी देवी ने इस केस के पूर्व काशीचक थाना कांड संख्या–92/2022 मेरे पिता, चाचा एवं मुझपर तथा अन्य परिवार पर किया था तथा काशीचक थाना कांड संख्या–52/2022 इस कांड के मुदालय उमेश सिंह ने मेरे पिता एवं अन्य परिवारों पर किए है जिसकी जानकारी मुझे है। इस केस के मुदालय श्रवण सिंह के पिता भगीरथ सिंह की हत्या के मुकदमे मे मेरे पिता एवं फुफा रंजीत सिंह, चाचा चंदन सिंह, बाबा रामपदारथ सिंह एवं अन्य मुदालय थे जिसमें सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा नवादा सत्र न्यायालय से हुआ जिसमें मेरे पिता जी एवं अन्य लोग अपील बेल पर थे, इसकी जानकारी मुझे नही है। घटना की सूचना काशीचक थाना को 5.12 बजे के लगभग दिया था। घटना स्थल खुला मैदान है। पहला गोली वांये कनचपड़ मे लगा। वह गोली 5–7 फीट की दूरी से मारा गया था। यह गोली लगने के बाद मेरे पिता जी चीत भारे गिर गये थे। वाकी सारी गोली 5–7 फीट की दूरी से चलायी गयी थी। पहली गोली लगने के बाद मेरे पिता की मृत्यु नही हुई थी। मेरे पिता चीत गिरे तो उनका पैर पूरब एवं सिर पश्चिम तरफ था। मुदालयगण दक्षिण तरफ से गोली चला रहे थे। वांये कनचपड़ मे कुल चार गोली लगा था। सिर मे चार जगह छेद हुआ था। रॉड से सटकर मारा गया था और ढेला से तीन फीट की दूरी से मारा गया था। ढेला का जख्म सिर एवं दोनो आंख पर लगा था। ढेला लगने से ऑख फुल गया था। ढेला लगने से सिर भी फट गया था और दोनो ऑख फुल गया था। इसके अलावे एक गोली पेट मे लगी थी जो 5–7 फीट की दूरी से मारी गयी थी। उक्त गोली पेट मे रह गया था। उक्त गोली भी दक्षिण दिशा से चलाया गया था। एक गोली सिर के बीचों बीच लगा था तथा उक्त गोली भी माथा मे ही रह गया था। गोली चलने के समय मैं 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण तरफ था। पहला गोली लगने पर डर पैदा हुआ था। पहला गोली हमारे पिता को मारा गया उसके बाद दूसरा और तीसरा गोली मेरे एवं फुआ के तरफ चलाया गया। हमलोग एक कदम भी नही भागे और वहीं पर बैठ गये उसके बाद हमलोगों के उपर कोई गोली नही चलाया गया। पहला गोली चलने पर हल्ला किये थे तो कुछ लोग पाली गांव के दौड़े थे। पाली गांव के 30–35 लोग हमलोगों के नजदीक आये थे। जितने लोग आये वे लोग गोली चलते देखे कि नही मुझे नही पता। जहां पर मेरे पिता जी गिरे थे वहां पर खुन गिरा था। एक फीट की दूरी पर खुन का धब्बा–धब्बा हो गया था। घटना के समय ब्लु रंग का लुंगी, गुलाबी रंग का टिशर्ट एवं लाल रंग के गमछी मेरे पिता पहने हुए थे। घटना के समय पहले कपड़ा मे पेट के सामने भी कपड़ा मे छेद हो गया था। मेरी फुआ मेरे पिता जी को खोजने 4.30 बजे घर

से निकली थी। हमलोग अक्सर दिन पिताजी को खोजने के लिए निकलते थे। मेरे पिता जी कभी चार बजे, कभी पांच बजे या कभी छः बजे भी लौटते थे। घ टना के दिन पिताजी नही कहकर गये थे कि कितना बजे लौटेंगे। मैं घटना के एक महीना पहले से गांव मे था। रोजाना पिताजी को खोजने के लिए मैं और मेरा भाई अंकुल जाता था। गांव के लोग जानते थे कि मैं अपने पिता जी को रोज खोजने जाता हूँ। घटना स्थल पर पुलिस आई तो सबसे पहले मेरा बयान लिया, उसके बाद मेरी फुआ रानी देवी का बयान हुआ। बयान लेने मे आधा घंटा का समय लगा था। उसके बाद मेरे पिता जी के शव का मुआयना पुलिस किया। हमलोग पुलिस को दिखाये कि कनचपड़ मे चार गोली लगा है। माथा मे एक गोली और एक गोली पेट मे लगा है। ऑख मे जो चोट लगी थी वह भी पुलिस को दिखाये थे। जिस खेत मे घटना कारित हुआ वह बिपिन सिंह का खेत है। चिमनी बंद था। चिमनी पर कितना आदमी रहता है, इसकी जानकारी मुझे नही है। चिमनी पर घटना के पहले गये थे। चिमनी भट्ठा बमबम सिंह ग्राम पाली का है। चिमनी भट्ठा पर कितना कोठरी बना हुआ है मुझे नही मालूम। वहां के मुंशी मैनेजर से बातचीत करने का मौका नही मिला है। इस घटना के बाद पुलिस जब मुदालय के घर गये तो पिस्तौल बगैरह मिला कि नही इसकी जानकारी नही है। कुल सात गोली चला था। जिसमें छः गोली मेरे पिता जी को लगा था एवं एक गोली हमलोग के तरफ चलाया था। हमलोग के तरफ अरूण कुमार गोली चलाया था। यह बात केस मे लिखाये हैं। पुलिस को बताये थे कि जिस समय हमलोग पर गोली चलायी गयी थी अमुक जगह खड़ा था। पुलिस गोली का खोखा नही देखा। जहां पर मेरे पिता जी गिरे थे वहां पर पुलिस को कोई खोखा नही मिला। चिमनी भट्ठा के उत्तर पूरब करीब 300 मीटर की दूरी पर मेरे पिता गिरे थे। मैने पुलिस को उस समय ऐसा बताया था कि उमेश सिंह आया और गाली–गलौज करने लगा और कहा कि साला तुमको मार देंगे। ऐसी बात नही है कि जैसा बयान दिया वैसा कोई घटना घटित होते हुए मैं और मेरी फुआ नही देखे हैं, बल्कि मेरे पिता जी कुख्यात अपराधकर्मी थे जिनपर काफी सारा मुकदमा पूर्व मे था और गैरकानूनी ढंग से मुदालय के कब्जे मे शांतिपूर्वक जमीन पर दखल कब्जा करने मे असमर्थ रहे तो अज्ञात अपरापधकर्मी के द्वारा किये गये हत्या के मुकदमे मे जमीन वापस लेने के लिए बनावटी तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा मुदालयगण पर किया। ऐसी बात नही है कि मैं और मेरी फुआ घटना घटित होते अपनी ऑखों से नही देखा।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03 अंकुल कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं दसरी कक्षा मे पढ़ता हूँ। मैं इंटर विद्यालय चंडीनोमा मे पढ़ता हूँ। वहां के प्रधानाध्यापक वियन कुमार उर्फ विनय सिंह हैं। मेरे साथ रोहित सन्नी पढ़ता है। घटना दिनांक 28.04.2022 के समय 05.10 शाम की है। घटना के समय मैं पाली गांव पाली खंदा के चिमनी भट्ठा के उत्तर पूरत लगभग 300 मीटर की दूरी पर था। मैं देखा कि मेरे पिता त्रिपुरारी सिंह को उमेश सिंह गाली–गलौज कर रहे थे। उमेश सिंह मेरे गांव के हैं। उमेश सिंह बोल रहे थे कि साले तुमको मार देंगे। उसके बाद उमेश सिंह अपने पिस्टल से मेरे पिता को एक गोली कनपटी मे मार दिये। इसके बाद अरूण कुमार दूसरा गोली मेरे पिता के पेट मे मार दिया। इसके बाद मेरे पिता को तीसरा गोली अवधेश सिंह माथा मे मार दिया। चौथी गोली पुरूषोत्तम सिंह मेरे पिता के कनपटी मे मारा, पांचवा गोली अजय कुमार मेरे पिता के कनपटी मे मार दिया, छठा गोली कुंदन कुमार मेरे पिता के कनपटी मे मारा। कुलन उर्फ त्तम कुमार मेरे पिता के सिर पर ईंट–पत्थर से मारा और रॉड से मेरे पिता के सिर पर श्रवण कुमार मारा। उक्त सभी अभियुक्तगण मेरे गांव दौलाचक निवासी है। इसके बाद घटना मे सम्मिलित जानकी देवी शांति देवी, कुमकुम देवी गौतम सिह एवं किशोरी सिंह उक्त सभी घ टना कारित करने मे सम्मिलित थे। घटना स्थल पर ही मेरे पिता की मृत्यु हो गयी। जमीन संबंधित विवाद के चलते अभियुक्तगण मेरे पिता की हत्या कर दी सभी अभियुक्तगण को पहचानता हूँ। आज अभियुक्त कुंदन कुमार, श्रवण कुमार, अवधेश सिंह और उमेश सिंह न्यायालय मे उपस्थित है, जिसे देखकर पहचानता

हूॅ। घटना के बाद पुलिस को सूचना दिये थे तो पुलिस आई और मेरे पिता के शवको उठाकर के थाना ले गया।

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस कांड की सूचिका रानी देवी मेरी अपनी फुआ है। गवाह उन्नी देवी मेरी मॉ है। शैला देवी मेरी दादी है। नीतिश कुमार मेरा सहोदर भाई है। गुलशन कुमार मेरी फुआ का लड़का है। चन्दन सिंह मेरे अपने चाचा हैं। गोरेलाल सिंह के बारे मे मुझे जानकारी नही है। रंजीत सिंह, त्रिपुरारी सिंह, रामपदारथ सिंह, चंदन सिंह और शैला देवी तथा गोरेलाल सिंह को इस केस के मुदालय अजय कुमार के पिता भगीरथ सिंह के हत्या के केस मे नवादा सत्र न्यायालय के एस0टी0सी0 कोर्ट द्वारा दिनांक 20.12.2011 को आजीवन कारावास की सजा हुआ था। उक्त लोगों के हाईकोर्ट अपील के बारे मे कोई जानकारी नही है। उक्त सभी लोग जेल गये थे और जेल से बाहर आये थे। दोनो पक्षों मे जमीन विवाद है तथा उक्त विवाद मेरे जन्म के पहले से है। मुझे नही पता है कि उक्त सिविल कोर्ट मे केस होने के पहले उक्त जमीन पर 44–45 हुआ था। दोनो पक्षों मे 21 बिगहा जमीन का झगड़ा है। हमारे होश होने से पहले से उक्त जमीन पर अभियुक्तगण का कब्जा है। आजतक उक्त जमीन का हमारे पक्ष मे कोई फेसला नही हुआ है। मेरी फुआ रानी देवी के ग्राम खखरी मे खेती बारी है और हम हमेशा वहां आते–जाते हैं। मेरे गांव करीब 150 घर का बस्ती है। हमारे घर के उत्तर गौतम सिंह का घर है, दक्षिम मे कमल सिंह का परती खेत है, पूरब मे अभियुक्तों का घर है और पश्चिम मे चार लोग शत्रुधन सिंह, चकवाय सिंह, पप्पु सिंह और नवल सिंह का घ ार है। मैं घटना के समय चिमनी भट्ठा पर थे और दौड़कर पिता जी के पास गये थे। पिता जी चीत भारे गिरे थे। जब गांव वाले दौड़े तो अभियुक्तगण मोटरसाईकिल से भाग गये। 4–5 मोटरसाईकिल से भागे थे। मैं किसी भी मोटरसाईकिल का नंबर नही बता सकता। पिता जी को मृत पाने के बाद पुलिस को सूचना दिया था। उक्त सूचना मेरा फुफेरा भाई गुलशन कुमार अपने मोबाईल से दिया था। मोबाईल नंबर नही बता सकता हूॅ। पुलिस को 5.12 बजे फोन किये थे। पुलिस के आने के पहले पिताजी के शव को उलट पलट किये थे। पिता जी को कौन गोदी मे उठाकर रखा मैं नही देखा। जहां पिता ही गिरे थे वहां पर एक फीट के आस–पास खुन गिरा था। पुलिस लगभग 5.30 बजे शाम मे घटना स्थल पर आयी थी। जिस समय पुलिस आई उस समय वहां पर लगभग 50–60 लोग उपस्थित थे। मैं नही बता सकता हूॅ कि पुलिस घटना के बारे मे सबसे पहले किससे पूछा। पुलिस बारी–बारी से गुलशन कुमार, नीतिश कुमार, अंकुल कुमार, रानी देवी, शैला देवी और उन्नी देवी से पछताछ किया था। पुलिस आने के दो–चार मिनट बाद मुझसे पूछताछ किया था। मेरा बयान पुलिस ने लिखा था। मै बयान पर हस्ताक्षर या टिप्पा नही किया था। बयान पर किसी ने हस्ताक्षर नही किया था। पुलिस ने मेरे सामने लाश पर कहां–कहां चोट थी उसको देखा था। पिता जी के सिर के आगे तरफ एक जख्म, वांये कनपटी पर चार जख्म था। वायं कनपटी पर चार छेद हुआ था। गोली सिर के अंदर था। एक गोली बाहर निकला था। कहां का गोली बाहर निकला था यह मैं नही बता सकता हूॅ। पिताजी के नाभी के नजदीक गोली का जख्म था। उक्त गोली भी पेट के अंदर ही था। पिताजी के शरीर पर लाठी एवं रॉड का भी मार देखे थे। केवल सिर मे लाठी एवं रॉड का अनगिनत मार था। सिर को छोड़कर लाठी एवं रॉड का मार शरीर के अन्य भाग मे नही था। पिता जी के शरीर पर ईंटा एवं पत्थर का अनगिनत मार देखा था। ईंट एवं पत्थर का जख्म केवल सिर मे था। मैं नही बता सकता कि पुलिस घटना स्थल पर कोई समान जप्त किया या नही। मैं लगभग एक घंटा तक घटना स्थल पर रूका हुआ था। इस दौरान पुलिस ने क्या–क्या कार्रवाई किया मैं नही बता सकता हूॅ। घटना स्थल पर पुलिस ने किसी भी कागज पर मेरा हस्ताक्षर नही कराया था। घटना के दिन जो पुलिस को बयान दिया था उसके बाद आज न्यायालय मे बयान दे रहे है।। पिताजी के शव को लेकर पुलिस करीब छः बजे शाम मे नवादा अस्पताल आई थी। नवादा अस्पताल मे चंदन सिंह, नीतिश कुमार, संजीत सिंह आये थे। मेरे पिता का पोस्टमार्टम दूसरे दिन 10 बजे सुबह मे हुआ था। पिता जी का शव खेत मे था। मुझे अपने ग्रामीण से झगड़ा

नही है तथा अगल–बगल के गांव के लोगों से भी झगड़ा नही है। मुझे नही पता कि मेरे पिता की मृत्यु के पहले उनपर कितना केस था। मैं पिस्टल को देखा हूँ। एक बीता का होता है। मैने पुलिस के समक्ष ऐसा कहा था कि मेरे पिता त्रिपुरारी सिंह के उमेश सिंह गाली–गलौज कर रहे थे तथा उमेश सिंह बोल रहे थे कि साले तुमको मार देंगे। मैने पिस्टल से मारने की बात पुलिस को बताया था। सारे जख्म गोली से बांये कनपटी पर हुआ था। मैने पुलिस को ऐसा बताया था कि कुलन उर्फ उत्तम मेरे पिता के सिर पर ईंटा एवं पत्थर से मारा था। घटना के समय खेत मे गेहूँ का फसल कट रहा था। जिस खेत मे पिता का शव था उस खेत का गेहूँ कट चुका था। जहां पर शव था उसके उत्तर मे चिमनी, दक्षिण मे खेत, पूरब एवं पश्चिम मे खेत है तथा सभी खेत मे गेहूँ का फसल कटा हुआ था। घटना स्थल पर केवल सात गोली चला था। दो मोटरसाईकिल अभियुक्तगण के घर का था अन्य मोटरसाईकिल के बारे मे नही बता सकता। घटना के दिन पिता जी घर से अकेले निकले थे खेत जाने के लिए। जिस तरफ घटना घटी उस तरफ मेरा खेत नही है। ऐसी बात नही है कि जैसा मैने बयान दिया वैसी कोई घटना नही घटी। ऐसी बात नही है कि घटना घटित होते हुए किसी ने नही देखा है। ऐसी बात नही है कि बाद मे लाश पाये जाने की सूचना पर मुदालयगण से पूर्व दुश्मनी जिसमें मेरे परिवारों को आजीवन कारावास की सजा हुआ था तथा 21 बिगहा जमीन पर शांति पूर्वक रहने के कारण बदले की भावना से मैं अपने सभी परिवार फुआ तथा फुफेरा भाई के सहयोग से झूठा केस किया जिसमें मैने झूठी गवाही दिया हूँ।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–04 शैला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना 28.04.2022 को लगभग 5.1 बजे शाम की है। उस दिन मे घर पर थी तथा मेरा पोता, बेटी एवं नाती सभी मिलकर मेरा बेटा त्रिपुरारी सिंह को खोजने के लिए गया था। मेरा बेटा शाम तक घर नही आया था। मेरा पोता नीतिश कुमार ने फोन कर बताया कि पापा को मार दिया। मेरा बेटा की हत्या उमेश सिंह, अवधेश सिंह, पुरूषोत्तम सिंह, कुंदन सिंह अजय सिंह, अरूण सिंह, तुलन कुमार उर्फ उत्तम कुमार, अजय सिंह और श्रवण सिंह किया है। अभियुक्त उमेश सिंह ने मेरे बेटे को गोली मारा था। सूचना मिलने पर मैं तुरंत टेंपू से घ टना स्थल पर गयी। वहां पर गयी तो देखा कि मेरा बेटा त्रिपुरारी सिंह गिरा हुआ है। मैं अपने बेटे के शरीर पर जख्म देखी थी। मेरे बेटे के शरीर पर गोली, रॉड, ईंटा एवं पत्थर का जख्म था। मेरा पोता, बेटी एवं नाती के द्वारा बताया गया कि मेरे बेटा त्रिपुरारी सिंह को पहला गोली उमेश सिह ने कनचप्पड़ मे मारा, दूसरा गोली अरूण सिंह, तीसरा गोली पुरूषोत्तम सिंह, चौथा गोली अवधेश सिंह, पांचवा गोली अजय सिंह, और छठा गोली कुंदन सिंह ने मारा एवं अभियुक्त उत्तम कुमार उर्फ तुलन ईंट पतारि से मारपीट किया। श्रवण लोहे के रॉड से मेरे बेटे त्रिपुरारी सिंह को मारपीट किया। मेरे बेटे की हत्या मे अभियुक्त शांति देवी, भगीरथ सिंह, भी शामिल था एवं अभियुक्त कुमकुम देवीजानकीदेवी किषोरी सिंह, गौतम सिंह मेरे बेटे की हत्या मे शामिल था। मेरे बेटे की मृत्यु घटना स्थल पर हो गयी थी। घटना की सूचना पुलिस को दिया गया। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर आई। घटना जमीन के कारण घटित हुआ। अभियुक्तगण से जमीन का झगड़ा था। मैं सभी अभियुक्तगण को पहचानती हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह कथन किया है कि जिस टेंपू से घ टना स्थल पर गया वह मेरे घर के दरवाजे पर था। मेरे घर के सामने रोड है। मैं टेंपू से अकेले घटना स्थल पर गयी थी। मेरे घर से घटना स्थल की दूरी एक कोस है। मेरा घर बाजार मे और बीच मे है। घटना स्थल पर पहुंची तो वहां पर पहले से 50–60 लोग थे। हम वहां पहुंचे उसके पहले ही मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। मैं अपने बेटे के बांये कनचप्पड़ मे चार गोली के छेद, माथा पर एक एवं पेट मे एक गोली का छेद था। घटना स्थल पर गोली का खोखा नही देखी थी। मैं रोने पीटने मे थी। घटना स्थल पर लगभग एक हाथ मे खुन गिरा हुआ था। मेरे बेटे का शव चिमनी भट्ठा के किस तरफ था मैं नही बता सकती हूँ। मै शव को उलट पलट कर नही देखा था। शव को मेरे परिवार के लोग नही

उठाये थे। जहां पर मेरे बेटे का शव पड़ा था वहां पर मेरा खेत नही है। मेरा बेटा 11.00 जे ही खाना खाकर घर से निकला था। प्रतिदिन 11.00 बजे घर से निकलता था तथा फोन करने पर शाम में जानवर को खिलाने के लिए आता था। घटना के दिन शाम मे वह नही आया था। घटना के दिन अंकुल कुमार 4.30 बजे फोन किया था। मेरे बेटे के दोनो गाल, ललाट पर चोट था। शरीर का वाकी अंग ढका हुआ था। ललाट एवं गाल से खुन निकल रहा था। मैं घटना स्थल पर पहुंची तो उसी समय पुलिस भी आ गयी तथा इस घटना के संबंध मे पुलिस मुझसे पूछताछ की थी। घटना स्थल पर ही पूछताछ की थी तथा मैं पुलिस को सारी बात बता दी थी। पुलिस ने सारी बात लिख लिया। मैं उस लीखी बात पर टिप्पा या हस्ताक्षर नही किया था। मैं यह नही बता सकती हूँ कि मेरे परिवार के किस सदस्य ने आवेदन लिखकर दिया था। मेरे सभी परिवार के लोग से पुलिस पूछताछ किया था। केस मेरी बेटी रानी ने की है। दोनो पक्षों के बीच जमीन का मुकदमा लगभग 35–40 वर्ष से चल रहा है। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मुदालयगण लोग जमीन को कब्जा किये हुए हैं इसलिए मुदालयगण पर केस किए हैं। इस केस के मुदालय श्रवण सिंह को जानती हॅ श्रवण सिंह के पिता भगीरथ सिंह की हत्या हुआ था। साक्षी पुनः कहती है कि भगीरथ सिंह ट्रेन से गिर कर मृत्यु हुई थी। भगीरथ सिंह की मृत्यु के संबंध मे मेरा बेटा त्रिपरारी सिंह दामाद रंजीत सिंह, बेटा चंदन सिंह एवं मेरे पति के बहनोई चंदन सिंह तथा हमे नवादा कोर्ट से सजा हुई है या नही मैं नही बता सकती। मैं भी इस केस मे जेल गयी थी। ऐसी बात नही है कि हमलोगों का हाईकोर्ट से जमानत हुआ है। हमें इस बात की जानकारी नही है कि हमलोग को अपील बेल हाईकोर्ट से हुआ था और केस लंबित है। मुझे इस बात की भी जानकारी नही है कि उक्त केस 15–20 साल पहले हुई थी। मैने पुलिस के समक्ष ऐसी बात नही बतायी थी कि मेरा नाती त्रिपुरारी सिंह को खोजने गया था तथा पुलिस को यह भी नही बतायी थी कि मैं टेम्पु से घटना स्थल पर गयी थी। मैने पुलिस को ऐसा बतायी थी कि मेरा पोता, बेटी और नाती द्वारा बताया गया था कि मेरे पुत्र त्रिपुरारी सिंह को पहला गोली उमेश सिंह कनचप्पड़ मे मारा, दूसरा गोली अरूण सिंह, तीसरा गोली पुरूषोत्तम सिंह, चौथा गोली अवधेश सिंह, पांचवा गोली अजय सिंह, छठा गोली कुंदन सिंह, नेमारा एवं अभियुक्त उत्तम उर्फ तुलन ईंट पत्थर से मारपीट किया तथा श्रवण लोहे के रॉड से मेरे पुत्र त्रिपुरारी सिंह को मारपीट किया। मैं गॉव के आदमी एवं चौहदी के लोगों को पहचानते है तथा वे लोग घटना स्थल पर गये थे, परन्तु उनका नाम नही बता सकती हूँ। मुझे नही पता है कि मुरे पुत्र त्रिपुरारी सिंह के उपर बहुत सारे मुकदमे है। पुलिस आई तो शव का कपड़ा हटाकर देखा था। उस समय मैं सपरिवार वहां पर थे। मेरे पुत्र के मुंह मे, पेट मे गोली लगा हुआ था और मुंह फुला हुआ था। इस केस मे मेरे परिवार के अलावे और कोई गवाह नही है। इस केस के गवाह को घटना स्थल पर पुलिस मेरे सामने पूछताछ किया था। घटना स्थल पर पुलिस कितना देर रूकी मैं नही बता सकती। पुलिस घटना स्थल से खुन लगा मिट्टी नही उठाया था। इस केस के मुदालय उमेश सिंह अजयकुमार उर्फ अजय सिंह, शांति देवी, शोभा देवी, मिथलेश सिंह और विनय कुमार हमलोगों के खिलाफ मर्डर केस मे गवाही दिये थे या नही इसकी जानकारी मुझे नही है। ऐसी बात नही है कि जैसा मै बयान दिया हूँ वैसी कोई घटना नही घटी है। ऐसी बात नही है कि मेरा कोई परिवार घटना घटित होते देखा है ओर मेरी बेटी जो इस केस की सूचिका है के पति एवं हमलोग जो पूर्व मे मुदालयगण के द्वारा लाया गया हत्या के मुकदमा मे गवाही दिये थे, उसी दुश्मनी से एवं मुदालयगण के 21 बिगहा जमीन शांतिपूर्वक दखल कब्जा मे बेदखल करने के उद्देश्य से अपने बेटा का अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा हत्या किये जाने के फलस्वरूप हमलोग सपरिवार संबंधी सहित झूठा मुकदमा कर झूठी गवाही दिये हैं। ऐसी बात नही है कि मेरा किसी परिवार मे हत्या होते अपने ऑख से नही देखा है। ऐसी बात नही है कि झूठा केस रहेने के कारण कोई भी ग्रामीण अथवा ग्राम पाली के निवासी अनुसंधानकर्ता के समक्ष घटना घटित मुदालयगण के द्वारा किये जाने के बारे मे नही बताया।

<u>न्यायालय : जिला न्यायाधीश–3 सह अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, नवादा।</u>

उपस्थितः उमेश कुमार DASJ-III

सत्र वाद संख्या– 318/2022

सरकार बनाम अवधेश सिंह

{निर्णय तिथि :– 12.08.2026}

12. अभियोजन साक्षी संख्या–05 रानी देवी ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह कथन किया है कि यह केस मेरे द्वारा किया गया है। मुझसे पुलिस पूछताछ किया था। मैं पुलिस को घटना के बारे मे बतायी थी। घटना दिनांक 28.04.2022 के शाम लगभग 5.10 बजे की है। मेरे भाई अकलु सिंह उर्फ त्रिपुरारी सिंह को अभियुक्त उमेश सिंह एवं सभी मुदालय द्वारा पाली खंदा मे गाली–गलौज किया था। इसी बीच अभियुक्त उमेश सिंहगोली चला दिया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के कनपटी मे लगा। इसके बाद दूसरा गोली अरूण कुमार चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के पेट मे लगा। इसके बाद तीसरा गोली अवधेश सिंह चलाया जो मेरे भाई के माथा मे लगा। चौथा गोली पुरूषोत्तम सिंह चलपाया जो मेरे भाई के कनपटी मे लगा, पांचवा गोली अजय सिंह चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के कनपटी मे लगा तथा छठा गोली कुंदन सिंह चलाया जो मेरे भाई के कनपटी मे लगा। अभियुक्त तुलन सिंह ईंट से एवं अभियुक्त श्रवण सिंह लोहे के रॉड से मेरे भाई को माथा पर मारा। इसके अलावा किशोरी सिंह, गौतम सिंह, शांति देवी, जानकी देवी, कुमकुम देवी सभी घटना कारित करने मे शामिल थे। मेरे भाई की मृत्यु घ टना स्थल पर ही हो गयी थी। अभियुक्त अरूण कुमार मेरे उपर भी गोली चलाया था लेकिन मैं बैठ गयी तो बच गयी। घटना के बारे मे पुलिस को खबर किया गया और काशीचक थाना से पुलिस आई। पुलिस आई और शव को देखा और मुझसे बयान लिया। मैं सभी बात बतायी थी तथा पुलिस सारी बात को लिखा था। मैं सुन समझकर सही पाकर आवेदन पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मैं अपना हस्ताक्षर पहचान रही हूॅ। मेरे पहचान पर मेरे हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0डब्लू 5/1 अंकित किया गया। मेरे सामने ही उन्नी देवी फर्द बयान पर अपना अंगूठा का निशान लगायी थी। अभियुक्तगण उक्त घटनाजीन के विवाद के कारण कारित किये। अभियुक्तगण से जमीन का झगड़ा था। मै सभी अभियुक्तगण को पहचानती हूॅ। आज अभियुक्त अवधेश सिंह, उमेश सिंह, कुंदन कुमार और श्रव्ण कुमार न्यायालय मे उपस्थित है जिसे देखकर पहचानती हूॅ। अगर अन्य अभियुक्त भी न्यायालय मे उपस्थित रहता तो देखकर पहचान जाती।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह कथन किया है कि मैं पांचवीं तक पढ़ी हूॅ। मुझे इस बात की जानकारी है कि बहुत दिन पहले नवादा न्यायालय मे मुझे, मेरे पति, मृतक भाई, एवं नैहर के लोग जो इस केस मे गवाह है, को भगीरथ सिंह के हत्या के केस मे आजीवन कारावास की सजा हुआ था। बहुत दिन जेल मे रहने के बाद पटना हाईकोर्ट से जमानत पर है। वर्तमान समय मे उक्त केस पटना हाईकोर्ट मे लंबित है या नही मुझे इस बात की जानकारी नही है। इस केस मे मेरा बेटा गुलशन कुमार भी गवाह है। मेरा एक ही बच्चा है। घटना स्थल पर पहले हमलोग पहुंचे थे। उसके दस मिनट बाद पुलिस पहुंची थी। घटना स्थल पर नीतिश कुमार, अंकुल कुमार, गुलशन कुमार, शैला देवी, रानी देवी पहुंची थी। घटना स्थल पर दौलाचक गांव से 50–60 लोग तथा पाली गांव से भी 50–60 लोग पहुंचे थे। मैं दोनो गांवों के लोगों को नही पहचानती हूॅ। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि पुलिस दौलाचक और पाली गांव के लोगों से पूछताछ किया था। पुलिस इस केस के गवाह से पूछताछ किया था तथा अन्य लोगों से पूछताछ किया कि नही इस बात की जानकारी मुझे नही है। मैं घटना स्थल से 100 गज की दूरी पर थी इसलिए गोली हमे नही लगी। मैं मृतक से पश्चिम तरफ थी। मुझ पर गोली चली उसका खोखा मेरे बगल मे गिरा था। मैं परिवार के लोगों को गोली का खोखा दिखा दी थी। पुलिस को भी खोखा के बारे मे बताया था। पुलिस को आने के बाद मेरा भाई का शव जहां पर गिरा था हमलोग वहां पर गये। मेरे भाई के शव के पास खोखा था या नही मैं नही बता सकती और यह भी नही बता सकती कि पुलिस खोखा जप्त किया था या नही। पुलिस घटना स्थल पर सभी लोगों से पूछताछ किया था। मैं घटना देखी थी और परिवार वालों को भी घटना के बारे मे बताया था। पुलिस मेरे बयान के अलावा घटना स्थल पर क्या–क्या किया मैं नही बता सकता। मेरे मृतक भाई पर कुल कितना केस है मैं नही बता सकता। दौलाचक मेरा नैहर है और मेरे नैहर का घर बीचोबीच मे है तथा मेरे नैहर के घर के चारों तरफ के लोगों से कोई झगड़ा नही है। मेरे भाई के वांया कनचप्पड़ मे कुल चार जगह गोली लगा था। दांया

कनचप्पड़ मे गोली नही लगा था। माथा मे एक गोली और एक गोली पेट मे लगा था। बांया कनचप्पड़ मे कुल चार गोली लगा था जो एक बांया आंख के करीब, दो कनचप्पड़ मे और एक बांया आंख के नीचे लगा था। सारे गोली दक्षिण तरफ से चलाया जा रहा था। सारे गोली सात फीट की दूरी से चलाया जा रहा था। गोली आर–पार नही हुआ था। चारो गोली कनचप्पड़ मे ही रह गया था। गोली चलाने वाले लोग दक्षिण दिशा से गोली चला रहे थे और मेरा भाई दक्षिण के तरफ मुंह करके खड़ा था। पहली गोली जो मेरे भाई के कनचप्पड़ मे लगा उसके बाद मेरा भाई पीठ भारे गिर गये थे। सिर पश्चिम के तरफ और पैर पूरब के तरफ था। गिरने के बाद मेरे भाई को पांच गोली मारा था। ये सारे गोली दक्षिण तरफ से चला था और उतना ही दूरी से चला था। उमेश सिंह जो गोली चलाया था वह मेरे भाई के बांया कनचप्पड़ मे कान के पास लगा था। अजय कुमार जो गोली चलाया था वह भी कनचप्पड़ के पास ही लगा था। पुरूषोत्तम कुमार जो गोली चलाया था वह भी मेरे भाई के बांया आंख के पास कनचप्पड़ मे लगा था। कुंदन कुमार जो गोली चलाया वह भी भाई के बांया आंख के पास कनचप्पड़ मे लगा था। मेरे भाई के पेट मे गोली नाभि के नजदीक लगा था। घटना के बाद भाई के शव के नजदीक गये थे। घटना के समय मेरे भाई गुलाबी रंग का टिशर्ट, ब्लु रंग का लुगी पहने हुए था और लाल रंग का गमछी रखे हुए था। गमछा माथा मे बांधे हुए थे। टिशर्ट मे एक छेद हो गया था। घटना स्थल पर पुलिस करीब 5–10 मिनट रही थी। इस दौरान पुलिस मुझसे एवं मेरे परिवार के लोगों से पूछताछ किया था। घटना की सूचना पुलिस को नीतिश कुमार ने करीब 5.12 बजे मोबाईल से दिया था। मैं नीतिश कुमार का मोबाईल नंबर एवं पुलिस का मोबाईल नंबर नही बता सकती हूँ। जिस समय नीतिश कुमार पुलिस को फोन किया था उस समय मैं वही थी। सिर के बीच भाग मे मेरे भाई को गोली लगा था। सिर मे जो गोली लगा था वह गिरे अवस्था मे लगा था। तुलन कुमार ने दो–तीन ईंटा से मेरे भाई को मारा था। गिरे अवस्था मे मारा था। श्रवण कुमार भी रॉड से दो–तीन बार गिरे अवस्था मे ही मारा था। मेरे भाई का सिर सभी जगह से फट गया था। मेरे भाई मोबाईल हर समय अपने पास रखते थे। घटना स्थल पर भी मोबाईल भाई के पास था, परन्तु मैं यह नही देखी कि मृतक का मोबाईल किसने लिया। मैं अपने भाई का मोबाईल नंबर नही बता सकती हूँ। मैं यह नही बता सकती कि पुलिस को यह बताया गया था कि नही कि मेरे भाई का मोबाईल उसके पास ही था। ऐसी बात नही है कि घटना की सूचना मेरे परिवार के नीतिश कुमार के द्वारा पुलिस को नही दिया गया था इसलिए मैं नीतिश कुमार का मोबाईल नंबर नही बता रही हूँ। इसी प्रकार मृतक की हत्या होते किसी परिवार वाले ने नही देखा इसी वजह से मोबाईल नंबर नही बता रही हूँ, बल्कि पुलिस को अफवाहन सूचना मिली कि एक आदमी का लाश पड़ा हुआ है फलस्वरूप पलिस घ टना स्थल पर पहुंची। अभियुक्तगण एवं मेरे नैहर के परिवार वालों के बीच जमीन का मुकदमा बहुत सालों से नवादा न्यायालय मे चल रहा है। मुदालयगण लोग विवादित जमीन पर खेती कर रहे हैं और जमीन नही छोड़ रहे है, इसी का मुकदमा चल रहा है। ऐसी बात नही है कि जैसा मै बयान दिया हूँ वैसी कोई घ टना मुदालयगण के द्वारा कारित नही किया गया है और घटित घटना को मैं नही देखी एवं आरोप पत्रित गवाह भी घटना घटित होते नही देखे हैं बल्कि मृतक भाई के लाश पड़ी होने के सूचना के बाद मुदालयगण के द्वारा जमीन पर कब्जा नही छोड़ने के कारण तथा दिवानी न्र्ायालय मे हार जाने के कारण एवं मुदालय के पिरवार` पूर्व मे हत्या के फलस्वरूप मेरेपति एवं परिवार के अन्य लोगों के सजा होने के प्रतिशोध मे मैं अपने पुत्र एवं अन्य नैहर परिवार वाले आरोप पत्र के गवाह के साथ मिलकर मुदालयगण के खिलाफ झूठी केस किए एवं झूठी गवाही दिये।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–06 डॉ0 नीरज कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह कथन किया है कि मैं दिनांक 29.04.2022 को सदर अस्पताल, नवादा मे चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन त्रिपुरारी सिंह उर्फ अलख सिंह पिता स्व0 रामपदारथ सिंह साकिन दौलचक, थाना काशीचक, जिला न्वादा उम्र

करीब 42 वर्ष का अन्त्य परीक्षण बोर्ड द्वारा किये गया था। बोर्ड मे मेरे अलावे डॉ विक्रम कुमार एवं डॉ0 अफताब कलीम थे। यह अन्त्य परीक्षण मेरे लिखावट मे है तथा अन्त्य परीक्षण पर मेरे अलावा डॉ0 विक्रम कुमार एवं डॉ0अफताब कलीम का हस्ताक्षर है। जिसे मैं पहचानता हूँ। साक्षी के पहचान पर पूरे अन्त्य परीक्षण को प्रदर्श पी01/पी0डब्लू06 अंकित किया जाता है। डॉ0 विक्रम कुमार एवं डॉ0 अफताब कलीम अन्त्य परीक्षण मे Observer के रूप मे शामिल थे।

External Examination- (1) X-ray skull show four radio opaque substance present in right lateral half and anterior half of skull cavity in both view of skull (2) Rigor mortis absent (3) Blood and Blood clot present in both ear (4) Four entry wound of size 0.5 cm X 0.5 c.m present at (I) Just anterior to left ear (ii) 1cm below 1^{st} one just anterior to left ear (iii) 1 cm above the left ear (iv) Just behind the left ear (5) one entry wound of size ½cm X ½ cm present posterolateral aspect of right lower chest at the level of 8^{th} -9^{th} ris with blackening around the wound, caring present inverted (6) Exit wound of size 3mmX3mm, ever ted at mid lower chest just below xiphisternum, blood and blood clot seen around the wound.

Internal Examination – Four metallic body resembling recovered from skull cavity from following area (I) Right middle cranial fossa (ii) Right anterior fossa (iii) between scalp and bone, right temporal region (iv) bone under right eyebrow (8) Fractured right remporal region, clots present under skin (9) Brain full mutilated (10) Heart empty (11) Liver punctured 3”X1/2”middle lobe (12) Stomach contains about 200 ml semi digested food particle no foul smelling present (13) other viscera are intact and congested.

Note – One metallic body resembling bulled recoevered out side the body brought by police

Time since death – Between 24 to 36 hrs

Caused of death – Hemorrhage and shock due to injury the brain and lover caused by firearm.

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह कथन किया है कि एक जख्म के आसपास बारूद से जले होने का निशान पाया। शेष जख्मों के आसपास बारूद से जले का निशान नही पाया। जले हुए निशान का साइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे नही लिखा है। मैने मृतक के शरीर मे 5 Entry wound पाया और एक Exit wound पाया। Entry wound का साइज 0.5 cm X 0.5 c.m और ½cm X ½ cm पाया। मृतक के शरीर पर 5 गोली चली थी। मैने कुल चार गोली रिकवर किया था। मैने गौर नही किया कि गोली पर कुछ लिखा हुआ था या नही। एक जख्म के पास खुन पाया। शेष जख्म के पास खुन नही पाया था। ऐसी बात नही है कि मैं सही ढंग से पोस्टमार्टम नही किया है, सिर्फ टेबुल वर्क करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दिया।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–07 नरेन्द्र प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह कथन किया है कि मैं दिनांक 28.04.2022 को काशीचक थाना में पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। उसी दिनांक 28.04.2022 को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति की हत्या पाली खंधा के चिमनी भट्ठा के उत्तर हो गयी है। उक्त सूचना पर मैं अपने दल बल के साथ थाना से घटना स्थल पर गया। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मैंने मरा हुआ व्यक्ति को देखा। इसके बाद वादिनी रानी

देवी पति रंजीत सिंह ग्राम खखरी का फर्द बयान पु0अ0नि0 राधाकृष्ण चौधरी के द्वारा मेरे निर्देशानुसार दर्ज किया गया। जो इस कांड का मुल आधार है। तत्पश्चात् मेरे द्वारा काशीचक थाना कांड संख्या 103/22 दिनांक 28.04.2022 दर्ज किया गया, जो मेरे द्वारा रजिस्ट्रड किया गया साक्षी के पहचान पर उक्त फर्द बयान पृष्ठाकंन सहित को प्रदर्श पी01/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक द्वारा तैयार किया है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श पी02/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। मेरे निर्देशानुसार पु0अ0नि0 राधाकृष्ण चौधरी के द्वारा मृतक त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह पिता स्व0 रामपदारथ सिंह ग्राम दौलाचक का मृत्यु समीक्षा रिर्पोट कार्बन प्रोसेस के साथ तैयार किया गया। मृत्यु समीक्षा रिर्पोट पु0अ0नि0 राधाकृष्ण चौधरी द्वारा तैयार गया जिसे मैं पहचानता हूॅ। साक्षी के पहचान पर मृत्यु समीक्षा रिर्पोट को प्रदर्श पी03/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। मृतक त्रिपुरारी सिंह का डेड वॉडी चालान पु0अ0नि0 राधाकृष्ण चौधरी द्वारा तैयार किया गया था जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श पी04/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। डेड वॉडी चालान तैयार होने के बाद मैं इस केस का अनुसंधान का प्रभार स्वंय ग्रहण किया। अनुसंधान के क्रम में मृतक के शव को चौ0 1/3 रामजी पासवान, 2/5 हरिचन्द्र पासवान के साथ पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल नवादा भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक त्रिपुरारी सिंह का शव मृतक के परिजन नीतिश कुमार को सौप दिया। मृतक के परिजन नीतिश कुमार, अंकुल कुमार और रंजीत कुमार शव लेने के समय अपना हस्ताक्षर किये थे, जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श पी05/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में वादिनी के द्वारा दिया गया बयान का अध्ययन किया एवं अनुसंधान के क्रम में वादिनी का पुनः बयान ग्रहण किया और केस डायरी में दर्ज किया। वादिनी के बयान के अवलोकन के पश्चात् उमेश सिंह, अरूण कुमार, अवधेश सिंह, पुरूषोतम कुमार, अजय कुमार, कुंदन कुमार, टुलन कुमार, श्रवण कुमार, जानकी देवी, शांति देवी, गौतम सिंह, किशोरी सिंह, कुमकुम देवी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 302/34 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अग्रतर अनुसंधान किया। आगे के अनुसंधान के क्रम में घटना स्थल का निरीक्षण किया जिसको कांड दैनिकी के पारा 6 में अंकित किया। इस कांड का घटना स्थल पाली के खंधा गौड़ा स्थित विपिन सिंह पिता कैलाश सिंह के खेत के पूरब छोर पर स्थित है, जहॉ अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने की बात बतायी गयी है। घटना के दक्षिण–पश्चिम में एक बंद चिमनी भठा अवस्थित है। घटना स्थल पर खुन का धब्बा पाया गया था। घटना स्थल की चौहदी– पूरब में उमेश सिंह का खेत, पश्चिम में पाली जाने वाली पक्की सड़क, उत्तर में सत्यनारायण सिंह का खेत और दक्षिण में राजनंदन सिंह का खेत इसके 600 मीटर बाद पाली गांव है। अनुसंधान के क्रम में साक्षी उन्नी देवी, शैला देवी, नीतिश कुमार का बयान लिया और केस डायरी में अंकित किया। अनुसंधान के क्रम में नामदज अभियुक्त अवधेश सिंह को दिनांक 16.05.2022 को गिरफ्तार किया। दिनांक 14.06.2022 को अभियुक्त उमेश सिंह को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के क्रम में मृतक का पोस्टमार्टम रिर्पोट प्राप्त किया और केस डायरी में संलग्न किया। अनुसंधान के क्रम में अपराधकर्मी उमेश सिंह और अवधेश सिंह का आपराधिक इतिहास का उल्लेख केस डायरी के पारा 70 और 71 में उल्लेख किया। दोनो के विरूद्ध 5 केस दर्ज है। अनुसंधान के क्रम में साक्षी अकुल कुमार और गुलशन कुमार का बयान लिया और केस डायरी के पारा 72 और 73 में अंकित किया। अनुसंधान के क्रम में सी0सी0टी0बी0 फुटेज प्राप्त किया। जिसका जप्ति सूची बनाया। जप्ति सूची पर मेरा हस्ताक्षर है, साक्षी के पहचान पर जप्ति सूची को प्रदर्श पी06/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। मूल केस डायरी में सी0सी0टी0बी0 फुटेज पेन डाईव में मूल केस डायरी के साथ संलग्न है। जिसपर मेरा लघु हस्ताक्षर है। अनुसंधान के क्रम में वरीय पदाधिकारी का प्रर्वेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। जो केस डायरी में अंकित है। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त उमेश सिंह और अवधेश सिंह के विरूद्ध केस सत्य पाते हुए भा0द0दि0 की धारा 302/34 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र संख्या 315/22

माननीय न्यायालय में समर्पित किया। आरोप पत्र संख्या 315/22 मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श पी07/पी0डब्लु7 अंकित किया जाता है। एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। पूरक अनुसंधान केस डायरी के पारा नम्बर 33 तक किया। इसके बाद मेरा स्थानातंरण हो गया और मैं केस का प्रभार नवीन कुमार सिन्हा को सौप दिया। जिस अभियुक्त को मैं गिरफ्तार किया था, वह आज न्यायालय में उपस्थित है, देखकर पहचानते है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह कथन किया है कि इस कांड की सूचिका रानी देवी ग्राम खखरी की है जबकि मुदालयगण ग्राम दौलाचक के है। काशीचक थाना से ग्राम खखरी की दूरी करीब 3 किलोमीटर है और दौलाचक सटा हुआ है। तथाकथित घटना स्थल से काशीचक थाना की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। तथाकथित घटना की सूचना किस व्यक्ति द्वारा दिया गया इसका नाम नहीं बता सकते है, किस नम्बर से सूचना दिया गया वह भी नहीं बता सकते है। घटना की सूचना लगभग साढ़े चार बजे मिला था, सूचना के करीब आधा घ ंटा बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे। घटना स्थल पर जाने का जिक्र स्टेशन डायरी में किया। घटना की सूचना वरीय पदाधिकारी को भी सूचना दिये थे। अपने से उपर सभी वरीय पदाधिकारी को सूचना दिये थे। घटना स्थल पर मेरे साथ पु0अ0नि0 राधाकृष्ण चौधरी एवं पुलिस के जवान थे। मैं डायरी में अंकित किया हूँ कि सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल पर गया था। जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो रानी देवी वहीं पर रो रही थी। घटना स्थल पर करीब डेढ़ घंटा तक रूका था और 18 बजे वापस थाना के लिए प्रस्थान किया। तथाकथित घटना स्थल परती खेत था। घटना स्थल से पक्की सड़क की दूरी करीब 30–40 मीटर है। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त जिस मोटरसाइकिल से भागे थे उसका नम्बर पता नहीं लगाया और इस बात उल्लेख केस डायरी में भी नहीं किया। बड़ा मोबाइल मेरे पास था। मैं घटना स्थल का विडियो नही बनाया। किसी गवाह ने भी घटना स्थल का विडियो बनाकर मुझे नहीं दिया। घटना स्थल पर आयरन रड, खोखा, पिलेट, ईट, पत्थर का टुकड़ा नहीं पाया था। घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा था कि मृतक का सिर पश्चिम दिशा में था और पैर पूरब दिशा की ओर था। घटना स्थल पर जो खुन का धब्बा था उसको मैं जप्त नहीं किया। मैं मृतक का खुन लगा कपड़ा भी जप्त नहीं किया था। गवाह का बयान घटना स्थल और थाना पर लिया गया था। किसी भी गवाह का बयान मैं उनके घर पर जाकर नहीं लिया। अनुसंधान के क्रम में वादिनी का गांव खखरी जाकर उसका बयान नहीं लिया था।मृतका की मां शैला देवी का बयान घटना स्थल पर लिया था। काशीचक थाना कांड संख्या 92/22 के संबंध में मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं अभियुक्त शैला देवी को इस घटना के समय गिरफ्तार नही किया। पूरे अनुसंधान के क्रम में मैं किसी स्वंत्रत साक्षी का बयान नहीं लिया। साक्षी का कहना है कि कोई भी स्वतंत्र साक्षी बयान देने को तैयार नही हुए। मैं अभियुक्त श्रवण कुमार को गिरफ्तार नहीं किया था। साक्षी शैला देवी मेरे समक्ष बयान दी थी कि मेरा बेटा त्रिपुरारी सिंह को पहला गोली उमेश सिंह ने कनचपड़ में मारा, दूसरा गोली अरूण सिंह, तीसरा गोली पुरूषोतम सिंह, चौथा अवधेश सिंह, पांचवा गोली अजय सिंह, छठा गोली कुंदन सिंह एवं अभियुक्त उत्तम उर्फ तुलन ईट एवं पत्थर से मारा एवं अभियुक्त श्रवण लोहे के रड से मेरा बेटा त्रिपुरारी सिंह को मारपीट किया। मेरे समक्ष शैला देवी ऐसी बात नहीं बतायी थी कि मेरा बेटा त्रिपुरारी सिंह के पेट में गोली लगी था और मुंह फुला हुआ था। मेरे समक्ष साक्षी नीतिश कुमार ने ऐसा नहीं बताया था कि उसी समय अभियुक्त उमेश सिंह आया और गाली–गलौज करने लगा और बोला कि साला तुमको जान मार देगें। साक्षी नीतिश कुमार मेरे समक्ष ऐसा भी नहीं बताया था कि ढेला लगने से सिर भी फट गया था और दोनो आंख फुल गया था। मेरे समक्ष साक्षी नीतिश कुमार ने ऐसा बताया था कि अभियुक्त अरूण कुमार हमलोग के तरफ भी गोली चलाया था। मेरे समक्ष साक्षी अंकुल कुमार ने ऐसा नहीं बताया था कि मैं घटना के समय पाली खंधा के चिमनी भठा के उत्तर पूरब 300 मीटर की दूरी पर था और ऐसा भी नहीं बताया था कि मेरे पिता त्रिपुरारी सिंह को उमेश सिंह गाली–गलौज कर रहे थे

और उमेश सिंह मेरे गांव के है और उमेश सिंह बोल रहे थे कि साले तुमको मार देगें। मेरे समक्ष साक्षी अंकुल कुमार ने बताया था कि मेरे पिता के सिर पर तुलन कुमार ने ईटा से मारा था। मेरे समक्ष साक्षी अंकुल कुमार ने ऐसा नही बताया था कि दो मोटरसाइकिल अभियुक्तगण के घर का था। मेरे समक्ष साक्षी गुलशन कुमार ने ऐसा नहीं बताया था कि मेरे मामा को गोली लगने से खुन का फब्बारा चलना शुरू हो गया था। मेरे समक्ष साक्षी उनी देवी ने बतायी थी कि मेरे पति की हत्या मेरे भाभी एवं बेटा के सामने किया गया। मृत्यु समीक्षा रिर्पोट पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है। मैंने नीतिश कुमार को लिखते–पढ़ते नही देखा हूॅ। अनुसंधान के कम में वरीय पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार जानकी देवी, गौतम सिंह, शांति देवी, किशोरी सिंह एवं कुमकुम देवी निर्दोष साबित किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 70 और 71 में उमेश सिंह और अवधेश सिंह का अपराधिक इतिहास दर्ज है, लेकिन उक्त अपराधिक इतिहास के संबंध में दर्ज केस का सूचक कौन है मैं नहीं बता सकता हूॅ। ऐसी बात नही है कि मैंने सही एवं उचित तरीके से अनुसंधान कार्य नहीं किया हूॅ, बल्कि वादी के कथनानुसार केवल टेबुल वर्क किया हूॅ और अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा आरोप पत्र समर्पित किया हूॅ।

15. अभियोजन साक्षी संख्या–08 नवीन कुमार सिन्हा ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह कथन किया है कि मैं दिनांक 11.10.2022 को काशीचक थाना में पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 11.10.2022 को काशीचक थाना कांड संख्या 103/22 का अनुसंधान का प्रभार पूर्व के अनुसंधानकर्ता द्वारा मुझे दिया गया था। अनुसंधान का प्रभार लेने के बाद पूर्व अनुसंधानकर्ता के द्वारा किये गये कार्य एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अनुसंधान के कम में अभियुक्त श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन करवाया गया। इसके बाद अभियुक्त श्रवण कुमार का सफाई बयान लिया और केस डायरी में अंकित किया। इसके बाद अभियुक्त कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन करवाया गया। इसके बाद अभियुक्त कुदंन कुमार का सफाई बयान लिया और केस डायरी में अंकित किया। अनुसंधान के कम में वरीय पर्वेक्षण टिप्पणी एवं दिये गये निर्देश को प्राप्त किया जो केस डायरी के 87 में अंकित है। वरीय पदाधिकारी के दिये गये निर्देश का पालन किया। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार शांति देवी, कुमकुम देवी, गौतम सिंह, किशोरी सिंह को निर्दोष पाये, जिसे कांड दैनिकी में अंकित किये है। अनुसंधान के कम में एम्स गये थे, एम्स में पता चला कि अभियुक्त अजय कुमार का ईलाज एम्स में नहीं हुआ था, जिसका उल्लेख केस डायरी में किये है। अनुसंधान के कम में अरूण कुमार, कुदंन कुमार दोनो पिता अवधेश सिंह, श्रवण कुमार पिता स्व0 भागीरथ सिंह सभी साकिन दौलाचक थाना काशीचक जिला नवादा के विरूद्ध धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम आरोप पत्र संख्या 537/22 दिनांक 15.12.2022 को माननीय न्यायालय में समर्पित किया। आरोप पत्र संख्या 537/22 मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, मैं अपना हस्ताक्षर और लिखावट को पहचानता हूॅ, साक्षी के पहचान पर उक्त आरोप पत्र को प्रदर्श पी01/पी0डब्लु8 अंकित किया जाता है। जिस अभियुक्त को मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, वह अभियुक्त आज न्यायालय में उपस्थित है, देखकर पहचानते है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह कथन किया है कि तथाकथित घटना के दिन मैं काशीचक थाना में पदस्थापित नहीं था। अभियुक्त श्रवण कुमार रेलवे स्टेशन के पास घुम रहा है, यह किस व्यक्ति द्वारा गुप्त सूचना दिया गया यह मैं डायरी में नहीं लिखा हूॅ। छापामारी के समय मेरे साथ कौन–कौन सिपाही लोग गये थे, नाम याद नहीं है। कितने बजे छापामारी करने के लिए गया था यह बात केस डायरी में अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त श्रवण कुमार को विजय बाजार नवादा में मृतक के परिजन शैला देवी और दीपक कुमार स्थानीय पुलिस को सूचना दी और उक्त पुलिस के द्वारा अभियुक्त श्रवण कुमार को नवादा थाना में रखा गया, नवादा थाना द्वारा मुझे सूचित किया गया और नवादा थाना से मैं उसे कोर्ट में उपस्थापन करवाया। दिनांक 28.04.2022 को मैं अभियुक्त अजय

कुमार के बारे में एम्स जाकर पता लगाया था कि वह एम्स में भर्ती है या नहीं। लेकिन मैं 28.04.2022 के एक सप्ताह पहले उसके बारे में पता नहीं लगाया कि वह एम्स में ईलाजरत है या नहीं है। मैं एम्स के पदाधिकारी द्वारा सी0सी0टी0बी0 फुटेज की मांग किया था लेकिन वे लोग सी0सी0टी0बी0 फुटेज नहीं दिये। मैं चिकित्सक का बयान अंकित नहीं किया हूँ। अभियुक्त अजय कुमार सी0डी0आर0 और मोबाइल लोकेशन प्राप्त किया था, जो डायरी में अंकित है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को मैं जप्त नहीं किया और उसका पता भी मैं नहीं लगाया। मेरे द्वारा किसी भी साक्षी का बयान नहीं लिया गया है न ही मैं किसी स्वत्रंत साक्षी का बयान लिया। अभियुक्त कुदंन कुमार को मैं उसके घर से गिरफ्तार किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त कुंदन कुमार को उसके घर दौलाचक से न पकड़कर उसे मंझवे से पकड़ा गया था। जिस समय अभियुक्त कुदंन कुमार को पकड़े थे उस समय स्थानीय चौकीदार से पहचान करवाये थे लेकिन चौकीदार का नाम याद नहीं है। अभियुक्त कुदंन कुमार के घर के अगल–बगल किसका घर है यह नहीं बता सकता हूँ। अभियुक्त कुंदन कुमार को उसके घर के आगंन से गिरफ्तार किया था। पूरे अनुसंधान के क्रम में मुझे सूचक रानी देवी से मुलाकात नहीं हुई न ही उसका गांव खखरी कभी गया। मैं मृतक का शव भी नहीं देखा था। ऐसी बात नही है कि मैंने सही एवं उचित तरीके से अनुसंधान कार्य नहीं किया हूँ, बल्कि वादी के कथनानुसार केवल टेबुल वर्क किया हूँ और अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा आरोप पत्र समर्पित किया हूँ।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक निवेदन करते है कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आरोप पत्र में नामांकित सभी साक्षियों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अभियोजन मामले का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित किए गए धाराओं की पुष्टि किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित किए गए धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र में नामांकित सभी साक्षियों ने अक्षरशः समर्थन किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिसके अंतर्गत अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है। अंत में विद्वान अपर लोक अभियोजक अभियुक्तगण को आरोपित किए गए धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने की प्रार्थना करते है।

इसके विरूद्ध सफाई पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करते है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध जो भी आरोप पत्र में नामांकित साक्षियों को अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वे सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से घटनास्थल पर के किसी भी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, न ही किसी जप्ती सूची साक्षी को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी भी वस्तु प्रदर्श को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है न ही प्रदर्श अंकित कराया गया है। जहां तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए हितबद्ध साक्षियों का साक्ष्य का प्रश्न है उन्होंने अपने साक्ष्य के क्रम में परस्पर विरोधाभाष साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जबकि अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी के द्वारा जो भी साक्षी प्रस्तुत किए गए है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं प्रतिवेदन से सूचक साक्षी एवं अन्य साक्षियों के द्वारा कहे गए तथ्यों में घोर विरोधाभाष तथ्य परिलक्षित होता है। विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करते है कि औपचारिक प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि औपचारिक प्राथमिकी में अंकित किए गए तिथि एवं समय तथा घटनातिथि में काफी विरोधाभाष तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और औपचारिक प्राथमिकी में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि में औपचारिक प्राथमिकी में छेड़छाड़ किया गया है, जिससे पुरा मामला संदेहात्मक प्रतित होता है। जहां तक मामले में प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों ने घटना की तिथि, घटनास्थल एवं घटना के तरीका के संदर्भ में परस्पर विरोधाभाष साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे प्रस्तुत मामले में घटित घटना प्राकृतिक रूप से हुई है या दुर्घटनावश हुई है या घटित घटना मानवीयकृत के द्वारा किया

गया है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है, जिससे पुरा मामला षडयंत्र के तहत कुटरचित कर अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक संदेह उत्पन्न करता है। चुंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध जिस रूप में मामले को प्रस्तुत किया गया है, उसे अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों के परस्पर विरोधाभाष साक्ष्य के आधार पर उसे साबित करने में विफल रहा है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना करते है।

उभयपक्ष को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत आरोप का गठन किया गया है। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षियों को मौखिक साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये साक्षी संख्या एक गुलशन कुमार, साक्षी संख्या दो नीतिश कुमार, साक्षी संख्या तीन अंकुल कुमार, साक्षी संख्या चार शैला देवी, साक्षी संख्या पांच रानी देवी, साक्षी संख्या छः डॉ0 निरज कुमार, साक्षी संख्या सात नरेन्द्र प्रसाद और साक्षी संख्या आठ नवीन कुमार सिन्हा, जिसके अलावे दस्तावेजी साक्षी के रूप में 1 p1/pw7 साक्षी नरेन्द्र प्रसाद के पहचान पर फर्दबयान पृष्ठांकन सहित, 2. p3/pw7 औपचारिक प्राथमिकी पर साक्षी नरेन्द्र प्रसाद का हस्ताक्षर, 3. p1/pw7 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट साक्षी नरेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर सहित, 4. p4/pw7 डेड बॉडी चालान, 5. p5/pw7 पोस्टमार्टम होने के उपरांत शव ले जाने के समय बनाये गये बयान हस्ताक्षर सहित, 6. p6/pw7 जप्ती सूची साक्षी के हस्ताक्षर सहित, 7. P7/pw7 आरोप पत्र संख्या–315/22 साक्षी के हस्ताक्षर सहित, 8. p1/pw8 आरोप पत्र संख्या–537/22, 9. प्रदर्श 01 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर pw1 गुलशन कुमार का हस्ताक्षर, 10. प्रदर्श 1/1 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर गुलशन कुमार के ममेरा भाई नीतिश कुमार का हस्ताक्षर, 11. प्रदर्श 2/1 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर pw2 नीतिश कुमार का हस्ताक्षर, 12. प्रदर्श 5/1 pw5 रानी देवी के पहचान पर लिखित बयान पर बनाये गये साक्षी का हस्ताक्षर, 13. प्रदर्श p1/pw6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्रदर्शित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत इन साक्षियों में साक्षी संख्या पांच जो कि रानी देवी है, जो इस मामले के सूचक साक्षी है तथा मृतक की बहन है। जिसके साथ–साथ प्रत्यक्ष साक्षी भी है जो घटना के समय उपस्थित रहने एवं प्रत्यक्ष रूप से देखने की बात कही है। जिसके साथ–साथ साक्षी संख्या छः जो कि चिकित्सक साक्षी है। साक्षी संख्या सात एवं आठ अनुसंधानकर्ता साक्षी है। इसके अलावे अन्य जो साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए है जो सूचक के रिश्तेदार है। इस तरह ये सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी तो है परंतु ये सभी साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है। जिसमें यह आरोपित किया गया है कि जिसके अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के भाई त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह को गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप आरोपित किया गया है। इस संदर्भ में सूचक साक्षी ने अपने साक्ष्य के क्रम में कहा है कि घटना दिनांक 28.04.2022 को लगभग पांच बजे शाम की है। मेरे भाई अकलु सिंह उर्फ त्रिपुरारी सिंह को अभियुक्त उमेश सिंह एवं सभी मुदालय द्वारा पाली खंधा में गाली–गलौज किया था। इसी में अभियुक्त उमेश सिंह गोली चला दिया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के कनपट्टी में लगा इसके बाद दूसरा गोली अरूण कुमार चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के पेट में लगा, इसके बाद तीसरा गोली अवधेश सिंह चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के माथा में लगा, इसके बाद चौथा गोली पुरूषोत्तम कुमार चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के कनपट्टी में लगा, पांचवा गोली जो अजय कुमार चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के कनपट्टी में लगा। छठा गोली कुंदन कुमार चलाया जो मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह के कनपट्टी में लगा। इसके बाद अभियुक्त तुलन कुमार ने ईंटा से मेरे भाई त्रिपुरारी सिंह को मारा। अभियुक्त

श्रवण सिंह ने रड से मेरे भाई को माथा पर मारा। किशोरी सिंह भी इस घटना में शामिल था। इसके अलावा गौतम सिंह, शांति देवी, जानकी देवी, कुमकुम देवी ये सभी घटना कारित करने में शामिल था। मेरे भाई की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी। इसके बाद अभियुक्त अरूण कुमार मेरे उपर भी गोली चलाया लेकिन मैं बैठ गयी तो बच गयी। घटना के बारे में पुलिस को खबर किया और काशीचक थाना से पुलिस आई और सबको देखा। हमसे बयान लिया मैंने सभी बातों को बतायी। पुलिस ने सारी बातें को लिखा था। मैंने सुनकर, समक्षकर सही पाकर आवेदन पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। इन्होंने अपने साक्ष्य के कम में सभी अभियुक्त को पहचानने की दावा किया है। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कम में कहा है कि मैं घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर थी। इसलिए मुझे गोली नहीं लगी। मैं मृतक के पश्चिम तरफ थी। मुझपर केवल एक गोली चली थी जो मुझे नहीं लगी थी, क्योंकि मैं बैठ गयी। जब गोली मुझपर चली तो मैं पुरव तरफ मुंह करके बैठ गयी थी। मेरे बगल में खोखा गिरा था। मैं परिवार के लोगों को गोली का खोखा दिखा दिय था। गोली का खोखा दो हाथ की दूरी पर गिरी हुई थी। मैं पुलिस को खोखा के बारे में बतायी थी। करीब 10–15 मिनट उक्त स्थान बैठी हुई थी। मेरा भाई पुरव दिशा में गिरा हुआ था। सभी परिवार पुलिस के आने के बाद जहां पर मेरे भाई का शव था वहां पर गया था। इसी तरह का साक्ष्य साक्षी संख्या दो नीतिश कुमार जो कि मृतक के पुत्र है। इन्होंने अपने साक्ष्य के कम में कहा है कि घटना दिनांक 28.04.2022 की शाम के 5:10 बजे की है। उस समय वह पाली खंधा चिमनी भट्ठा के उत्तर–पुरव लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर था। उस समय उनके पिताजी त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह भी वहीं पर थे। उसी समय अभियुक्त उमेश सिंह आया और गाली–गलौज करने लगा कि साला तुमको मार देंगे। उतने बोलते ही उमेश सिंह ने पिस्तौल मेरे पिता त्रिपुरारी सिंह के कनपट्टी में पहला गोली मार दिया दूसरा गोली मेरे पिताजी को अरूण कुमार ने पेट में मारा और तीसरा गोली अवधेश सिंह ने मेरे पिता के माथा में मारा और चौथा गोली मेरे पिता को पुरूषोत्तम कुमार कनपट्टी में मारा और पांचवा गोली अजय कुमार भी मेरे पिता के कनपट्टी में मारा और छठा गोली कुंदन कुमार मेरे पिता के कनपट्टी में मारा तुलन कुमार उर्फ उत्तम कुमार ने मेरे पिता को ईंट–पत्थर से मारा। श्रवण कुमार ने लोहे के रड से मेरे पिता को सिर पर मारा। जब मैंने हल्ला किया तो गांव के लोग घटनास्थल पर पहूंचा। उसके बाद सभी अभियुक्तगण ने मोटरसाईकिल से भाग गया। उसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु घ टनास्थल पर हो गयी। इस घटना में सम्मिलित जानकी देवी, शांति देवी, कुमकुम देवी, गौत्तम सिंह, किशोरी सिंह ये सभी लोग भी सम्मिलित थे। ये लोग बोल रहे थे कि मारो–मारो घटना के बाद हमलोग काशीचक पुलिस को सूचना दिए थे। पुलिस आई और घटनास्थल पर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनायी। मैंने अपना हस्ताक्षर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर बनाया और मेरा फुफेरा भाई ने भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। इन साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के समय कहा है कि घ टनास्थल पर जब पुलिस आई तो सबसे पहले मेरा बयान लिया। उसके बाद मेरी फुआ रानी देवी का बयान लिया। बयान लेने में आधा घंटा समय लगा था। उसके बाद मेरे पिता के शव का मुआयना पुलिस ने किया। हमलोग पुलिस को दिखाए कि कनपट्टी में चार गोली लगा है, माथा में एक गोली और एक गोली पेट में लगा है। आंख में जो चोट लगी थी वह भी पुलिस को दिखायी थी। इसी तरह का साक्ष्य साक्षी संख्या एक जो कि मृतक के भगीना ने अपने साक्ष्य के कम में दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि घटना दिनांक 28.04.2022 को 5:10 बजे शाम की है। उस समय वह पाली खंधा में चिमनी, भट्ठा पर था। उनके मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह भट्ठा पर ही थे। इनके साथ आए उमेश सिंह गाली–गलौज किया कि साला तुमको मार देंगे और वह अपना पिस्तल से एक गोली कनपट्टी में मारा और उसके बाद अरूण कुमार आया और दुसरा गोली पेट में मार दिया और तीसरा गोली अवधेष सिंह माथा में मारा। चौथा गोली पुरूषोत्तम कुमार ने कनपट्टी में मारा। पांचवा गोली अजय कुमार ने कनपट्टी में ही मारा और छठा गोली कुंदन कुमार कनपट्टी में मारा, सातवां तुलन कुमार उर्फ उत्तम कुमार ने ईंट–पत्थर से मारा, आठवां श्रवण कुमार रड से माथा पर वार किया। ये

सभी मुदालय ने मेरे मामा को गोली, ईंट–पत्थर से मारकर हत्या और मोटरसाईकिल से भाग गया। हल्ला किए तो गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह घटनास्थल पर ही मर गए। उसके बाद पुलिस को सूचित किया और पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेजी। मेरे मृतक मामा की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट नवादा सदर अस्पताल में बना था और उसे मैं पढ़कर, समझकर अपना हस्ताक्षर बनाया था। उसके बाद मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह का पोस्टमार्टम हुआ और मेरे मामा के शव को हमलोगों को सौंपा गया। इस घटना का कारण मेरे मामा और उनके गोतिया के बीच जमीनी विवाद है। इसी कारण से मेरे मामा त्रिपुरारी सिंह उर्फ अकलु सिंह की हत्या कर दी गई। इसने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदालय ने मेरे मामा को सात फीट की दूरी पर दो–तीन तरफ से घेरे हुए थे। मेरे मामा को गोली लगने से शरीर से खुन का फब्बारा चलना शुरू हो गया। मेरे मामा को पहला गोली लगा तो चीत भारे गिर गए। मुंह आसमान की ओर और पीठ जमीन पर था। बाकि सभी मुदालय लोगों ने गिरे हुए अवस्था में ही मेरे मामा को गोली मारा था। मेरे मामा के शरीर में गोली लगा, पेट में एक गोली लगा। गिरे हुए अवस्था में मुदालय ने गोली चलाया तो सभी गोली मेरे मामा के शरीर में लगा। साक्षी संख्या तीन अंकुल कुमार जो अपने साक्ष्य के क्रम में कहा है कि घटना दिनांक 28.04.2022 के समय 5:10 बजे शाम की है। घटना के समय में वह पाली गांव पाली खंधा के चिमनी भट्ठा के उत्तर–पुरव लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन्होंने देखा कि उनके पिता त्रिपुरारी सिंह को उमेश सिंह गाली–गलौज कर रहे थे। उमेश सिंह बोल रहे थे कि साले तुमको मार देंगे। उसके बाद उमेश सिंह अपने पिस्तल से उनके पिताजी को एक गोली कनपट्टी में मार दिया। उसके बाद अरूण कुमार दुसरा गोली उनके पिता के पेट में मार दिया। उसके बाद उनके पिता को तीसरा गोली अवधेष सिंह माथा में मार दिया। चौथा गोली पुरूष्षोत्तम कुमार उनके पिता को कनपट्टी में मार दिया। पांचवा गोली अजय कुमार उनके पिता को कनपट्टी में मार दिया। छठा गोली कुंदन कुमार उनके पिता को कनपट्टी में मारा। तुलन उर्फ उत्तम कुमार उनके पिता के सिर पर ईंट–पत्थर से मारा और रड से उनके पिता के सिर पर श्रवण कुमार मारा। इस घ टना में जानकी देवी, शांति देवी, कुमकुम देवी, गौतम सिंह, किषोरी सिंह सभी घ टना कारित करने में सम्मिलित थे। जमीन संबंधी विवाद के चलते अभियुक्तगण मेरे पिता ही हत्या कर दिया। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं घटना के समय चिमनी, भट्ठा के पास था उसके बाद दौड़कर पिताजी के पास गए। पिताजी चित भारे गिरे हुए थे। जब गांव वाले दौड़े तो अभियुक्तगण मोटरसाईकिल से भाग गए। पिताजी को मृत पाने के बाद पुलिस को सुचना दिया उक्त सुचना मेरा फुफेरा भाई गुलषन कुमार अपने मोबाईल से काषीचक थाना को दिया था। जहां पिताजी गिरे थे वहां एक फीट की आसपास खुन गिरा था। मेरे पिता के सिर के आगे तरफ एक जख्म, बांए कनपट्टी पर चार जख्म हो गया था। पिताजी के नाभी के नजदीक गोली का जख्म था। उक्त गोली पेट के अंदर ही था। मेरे पिताजी के शरीर पर लाठी और रड का मार देखे थे। केवल सिर में लाठी एवं रड का अनगिनत मार था। तथा शरीर पर पत्थर एवं ईंटा का अनगिनत मार देखा था। ईंट और पत्थर का जख्म केवल सिर में था। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए अन्य साक्षियों में साक्षी संख्या चार जो कि मृतक की मां है, जो सूचक की भी मां है। उन्होंने अपने साक्ष्य के क्रम में भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि घटना दिनांक 28.04.2022 को लगभग 5:10 बजे शाम की है। उस दिन वह अपने घर पर थी। उनका पोता, बेटी और नाती सभी मिलकर, बेटा त्रिपुरारी उर्फ अकलु को खोजने के लिए गया। उनका बेटा शाम तक घर नहीं आया था। पोता नीतिष कुमार ने फोन कर बताया कि पापा को मार दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उनकी बेटा की हत्या उमेश सिंह, अवधेष सिंह, पुरूष्षोत्तम सिंह, कुंदन सिंह, अजय सिंह, अरूण सिंह, तुलन कुमार उर्फ उत्तम कुमार और श्रवण सिंह किया है। उमेश सिंह ने उनके बेटे को गोली मारा था। सूचना मिलने पर वह तुरंत टेम्पो से घटनास्थल पर गई। वहां पर गई तो देखी कि उनका बेटा त्रिपुरारी सिंह गिरा हुआ है। उसने अपने

बेटा के शरीर पर जख्म देखी थी। उनके बेटे के शरीर पर गोली, रड एवं ईंटा–पत्थर का जख्म था। उनका पोता, बेटी और नाती द्वारा बताया गया कि त्रिपुरारी सिंह को पहला गोली उमेश सिंह ने कनचप्पड़ में मारा, दूसरा गोली अरूण सिंह, तीसरा गोली पुरूषोत्त्म सिंह, चौथा गोली अवधेष सिंह, पांचवा गोली अजय सिंह, छठा गोली कुंदन सिंह ने मारा। अभियुक्त तुलन कुमार उर्फ उत्तम कुमार ने ईंट–पत्थर से मारपीट किया। श्रवण कुमार लोहे के रड से उनका बेटा त्रिपुरारी सिंह को मारा। उनके बेटे के हत्या में अभियुक्त शांति देवी एवं उसका पति भगीरथ सिंह भी शामिल था एवं अभियुक्त कुमकुम देवी, जानकी देवी, किषोरी सिंह, गौतम सिंह भी शामिल था। इन साक्ष्यों के साथ–साथ मामले में अभियोजन पक्ष के ओर से प्रस्तुत चिकित्सक साक्षी एवं अनुसंधानकर्ता जो अपने–अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए सूचक एवं अन्य प्रत्यक्ष साक्षियों के साक्ष्य का अक्षरषः समर्थन किया है। यद्यपि इन सभी साक्षियों का सफाई पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथोर प्रतिपरीक्षण किया गया, परंतु इन सभी साक्षियों को विखंडित करने में पुरी तरह से विफल रहे है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के द्वारा सूचक के भाई की निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया गया है। जिसके अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किया गया है। इस संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध प्रदर्ष दस्तावेज से भी अभिलेख पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य की पुष्टि होती है। इस संदर्भ में कानुनी प्रावधान यह है कि धारा 300 भा0 द0 वि0 में यह एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गयी है। अथवा दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने की आश्य से किया गया हो, अथवा करना सम्भाव्य है। जिसको वह अपहानि कारित की गई है। अथवा तिसरा– यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखित उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। उपरोक्त अपराध के लिए धारा 302 दण्डादेश का प्रावधान करती है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। जबकि भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत धारा 27 में भी दंड के लिए यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि जो कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी हथियार या गोला–बारूद का प्रयोग करता है, जो कोई धारा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी प्रतिषिद्ध हथियार या प्रतिषिद्ध गोला–बारूद का प्रयोग करता है तथा जो कोई प्रतिषिद्ध हथियार या प्रतिषिद्ध गोला–बारूद का प्रयोग करा है अथवा धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करता है और उसके इस प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रदर्श दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से परीलक्षित होता है कि घटना तिथी, घटनास्थल, घटना का समय में स्पष्ट रूप से साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। जबकि घटना का समय में भी उसी तरह का कोई विरोधाभाष परीलक्षित नहीं होता है और घटना के समय 9:15 बजे रात्रि होने की पुष्टि होती है। जबकि घ टनास्थल पाली खंधा चिमनी भट्ठा से उत्तर–पुर्व 300 मीटर की दूरी, थाना काशीचक, जिला नवादा में स्थित है। इस संदर्भ में सफाई पक्ष के द्वारा जो भी तर्क प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई बल स्पष्ट नहीं होता है। जहां तक घटना कारित होने का प्रश्न है यह घटना अभियुक्तगण के द्वारा

सामुहिक रूप से संगठित होकर एकमत के साथ गोली मारकर एवं लाठी–डंडा, रड एवं ईंट–पत्थर से मारकर हत्या करने की पुष्टि होती है। इस संदर्भ में सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना, दुर्घटनावश, प्राकृतिक रूप से एवं मानवीय कृत के द्वारा हुई है। इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। उनके इस तर्क से भी सहमत नहीं हूँ। चुंकि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा अभिलेख पर प्रदर्श दस्तावेज उपलब्ध है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा जान–बुझकर एकमत होकर जान मारने की उद्देश्य से गोली, लाठी, डंडा एवं ईंट–पत्थर से हत्या की गई है, जो कि मानवीयकृत घ टनाक्रम की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है और इस मानवीयकृत घटनाक्रम में इस मामले के विचाराधीन अभियुक्तगण संगठित रूप से सम्मिलित है। यद्यपि सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता इस संदर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मामला साबित नहीं होता है और उन्हें जान–बुझकर षडयंत्र रचकर झूठे मामले में फंसाया गया है। उनके इस तर्क में भी किसी प्रकार का कोई बल प्रकट नहीं होता है। चुंकि सफाई पक्ष के द्वारा इस संदर्भ में अपने पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य एवं अन्य किसी प्रकार का कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क से सहमति प्रकट किया जा सके। चुंकि इस मामले के विशिष्ट साक्षी जो कि अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी जो मामले में साक्षी संख्या सात एवं आठ के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से अभियोजन मामला एवं सूचक साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। जबकि अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से तथ्य को प्रस्तुत किया है कि इस मामले के अभियुक्तगण के द्वारा जो घटना कारित किया गया है, जिसके लिए अभियुक्तगण को 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपित किया गया है उसे उनके ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। जिसके लिए अभियुक्तगण कठोर से कठोर सजा के लिए उत्तरदायी है।

यद्यपि इस वाद का पृथक वाद जो इस न्यायालय में लंबित सत्रवाद संख्या 150/2025 जिसमें वर्तमान वाद के विचाराधीन अभियुक्त तुलन कुमार उर्फ उत्तम और अजय सिंह के साथ–साथ मुल वाद के अभियुक्त उमेश सिंह, अरूण कुमार, कुंदन कुमार, अवधेश सिंह, श्रवण कुमार के द्वारा सामुहिक रूप से किया गया अपराध है जिसके अंतर्गत सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध वर्तमान वाद के सुचक के भाई को संगठित होकर एकमत के साथ गोली मारकर एवं लाठी, डंडा, रड एवं ईंट–पत्थर से मारकर हत्या करने के लिए आरोपित किया गया है। जिसके संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षियों, तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्रदर्श के द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है, जो कि एक गंभीर मानवीयकृत घटनाक्रम है, जिसे अभियोजन पक्ष में पुरी तरह से पुष्टि किया है। अभियुक्तगण के द्वारा किया गया अपराध एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसके लिए अभियुक्तगण इन गंभीर अपराध के लिए धारा 302/34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। इस तरह उपरोक्त विवेचना एवं साक्ष्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुक्ष्म विश्लेषण एवं प्रदर्श विंदुओं का अवलोकन करने के पश्चात मैं पाता हूँ कि अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत मामले को साबित करने में पुरी तरह से सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण धारा 302/34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। तदनुसार आदेश दिया जाता है कि

<u>न्यायालय : जिला न्यायाधीश–3 सह अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, नवादा।</u>

उपस्थितः उमेश कुमार DASJ-III
सत्र वाद संख्या– 318/2022
सरकार बनाम अवधेश सिंह
{निर्णय तिथि :– 12.08.2026}

आदेश

प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण उमेश सिंह, अरूण कुमार, कुंदन कुमार, अवधेश सिंह, श्रवण कुमार के विरूद्ध धारा 302/34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। श्रवण कुमार का बंधपत्र खंडित किया जाता है और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तथा उमेश सिंह, अरूण कुमार, कुंदन कुमार, अवधेश सिंह, जो पुर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। उन्हें पुणः कारा भेजा जाता है तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक 17.08.2026 को निश्चित किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित हस्ताक्षरित शुद्वित
एंव खुले न्यायालय में उदघोषित।

उमेश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
दिनांक– 12.08.2026

उमेश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
दिनांक– 12.08.2026

<u>दिनांक 17.08.2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु।</u>

सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु अभिलेख को प्रस्तुत किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त उमेश सिंह, अरूण कुमार, कुंदन कुमार, अवधेश सिंह, श्रवण कुमार को कारा से प्रस्तुत किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सजा के बिंदु पर सुना। दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। पुर्व दोषसिद्धी का कोई इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण इस परिवार के मुख्य सदस्य है और परिवार के भरण–पोषण की जिम्मेवारी इन्हीं अभियुक्तगण के उपर है। इन अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी भी मामले में दोषसिद्ध किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य इनके विरूद्ध नहीं है और नहीं अभियोजन पक्ष की ओर से इस संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इनकी परिवार की स्थिति एवं जिम्मेदारी को देखते हुए अभियुक्तगण की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें कम से कम सजा देने की याचना करते है। इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक यह निवेदन करते है कि किसी भी सभ्य सामाज में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या किया जाना यह दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे किए गए अपराध से सामाज में एक डर एवं भय की भावना जागृत होती है और अभियुक्तगण के द्वारा सुचक के भाई को गोली, ईंट–पत्थर एवं रड से मारकर हत्या कारित किया गया है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का जघन्य अपराध है। इसके लिए अभियुक्तगण कठोर से कठोर सजा पाने की उत्तरदायी है जिससे सामाज में ऐसे अपराध कारित करने के लिए भय का वातावरण उत्पन्न हो, ताकि सामाज में पुणः इस तरह का गंभीर अपराध की पुनरावृति नहीं हो सके और सामाज में सामान्य वातावरण उत्पन्न हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से स्वतंत्र अधिवक्ता के द्वारा भी विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा किए गए निवेदन का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की याचना करते है और यह निवेदन करते है कि अभियुक्तगण के द्वारा किया गया अपराध एक गंभीर अपराध है। इसके लिए कठोरतम दंड दिया जाना न्यायिक के हित में आवश्यक है।

न्यायालय : जिला न्यायाधीश–3 सह अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, नवादा।

उपस्थितः उमेश कुमार DASJ-III
सत्र वाद संख्या– 318/2022
सरकार बनाम अवधेश सिंह
{निर्णय तिथि :– 12.08.2026}

उभयपक्ष के सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि इस कांड में दोषसिद्ध अभियुक्तगण के द्वारा सुचक के भाई की हत्या एकमत होकर षडयंत्र रचकर गोली, ईंट–पत्थर, रड से मारकर हत्या की गयी है। इसके लिए अभियुक्तगण को 302/34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण को कोई अपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका किया गया यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु उनके द्वारा कारित किए गए ऐसे अपराध के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकत किया जाना दंड प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिकुल है। अभियुक्तगण द्वारा सुचक के भाई को गंभीर रूप से हत्या करने का दोषसिद्ध किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अपराध के उचित दंडादेष पारित किया जाना न्यायिक प्रक्रिया के अनुकुल है।

यद्यपि अभिलेख पर इस प्रकार का कोई भी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर यह अवधारित किया जा सके कि यदि अभियुक्तगण को मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया जाएगा तो वह पुणः अपराध करेंगे अथवा उनके सुधरने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को उनके अपराध करने के लिए उचित दंड दिया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। यहां यह विष्लेषण करना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में सभी अभियुक्तगण संगठित होकर यह घटना कारित किया है। इसके लिए सभी अभियुक्तगण सामान्य रूप से इस घटना कारित करने के लिए उत्तरदायी है। सभी अभियुक्तगण भा0 द0 वि0 की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के लिए दोषसिद्ध किए गए है। जिसके लिए सामान्य रूप से सजा पाने के हकदार है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को धारा 360 भा0 द0 वि0 का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में धारा 302 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास एवं दस–दस हजार रूपया जुर्माना की राशि देने की सजा एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्तगण को तीन–तीन साल की सजा एवं पांच–पांच हजार रूपया जुर्माना की राशि देने की सजा दी जाती है। अर्थदंड की राशि देने में चुक करने पर छः माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी साजाएं साथ–साथ चलेगी। धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तगण के द्वारा कारावास में बिताए गए अवधि दिए गए सजा में समायोजित की जाएगी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इस कांड के पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर धनराशि के लिए अनुशंसा किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए प्रावधानों के अंतर्गत बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना 2014 के अनुसार मृतक त्रिपुरारी सिंह के आश्रितों को उचित प्रतिकर दिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देषित किया जाता है।

कार्यालिपिक निर्णय की प्रति निशुल्क अभियुक्तगण को प्रदान करें तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, नवादा को प्रेषित करें। साथ ही निर्णय की एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, नवादा को प्रेषित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखित शुद्वित हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

उमेश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
दिनांक– 17.08.2026

उमेश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
दिनांक– 17.08.2026

न्यायालय : जिला न्यायाधीश–3 सह अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, नवादा।

उपस्थितः उमेश कुमार DASJ-III

सत्र वाद संख्या– 318/2022

सरकार बनाम अवधेश सिंह

{निर्णय तिथि :– 12.08.2026}

फॉर्म–सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षियों का सूची

ए. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य प्रकृति (चक्षुदर्षी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी एंव अन्य साक्षी)
अभि0सा0संख्या–1	गुलशन कुमार	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–2	नीतिश कुमार	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–3	अंकुल कुमार	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–4	शैला देवी	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–5	रानी देवी	सूचक साक्षी
अभि0सा0संख्या–6	डॉ0 नीरज कुमार	चिकित्सक साक्षी
अभि0सा0संख्या–7	नरेन्द्र प्रसाद	अनुसंधानकर्ता साक्षी
अभि0सा0संख्या–8	नवीन कुमार सिन्हा	अनुसंधानकर्ता साक्षी

बी. बचाव साक्षी, यदि कोई हो

क्रमांक	नाम	साक्ष्य प्रकृति (चक्षुदर्षी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी एंव अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो

क्रमांक	नाम	साक्ष्य प्रकृति (चक्षुदर्षी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी एंव अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्षो की सूची

ए. अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्ष	विवरण
Nil	Nil	Nil

बी. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्ष	विवरण
Nil	Nil	Nil

सी. न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष	विवरण
1	p1/pw7	साक्षी नरेन्द्र प्रसाद के पहचान पर फर्दबयान पृष्ठांकन सहित

न्यायालय : जिला न्यायाधीश–3 सह अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, नवादा।

उपस्थितः उमेश कुमार DASJ-III
सत्र वाद संख्या– 318/2022
सरकार बनाम अवधेश सिंह
{निर्णय तिथि :– 12.08.2026}

2	p3/pw7	औपचारिक प्राथमिकी पर साक्षी नरेन्द्र प्रसाद का हस्ताक्षर
3	p1/pw7	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट साक्षी नरेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर सहित
4	p4/pw7	डेड बॉडी चालान
5	p5/pw7	पोस्टमार्टम होने के उपरांत शव ले जाने के समय बनाये गये बयान हस्ताक्षर सहित
6	p6/pw7	जप्ती सूची साक्षी के हस्ताक्षर सहित
7	P7/pw7	आरोप पत्र संख्या–315/22 साक्षी के हस्ताक्षर सहित
8	p1/pw8	आरोप पत्र संख्या– 537/22
9	प्रदर्श 01	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर pw1 गुलशन कुमार का हस्ताक्षर
10	प्रदर्श 1/1	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर गुलशन कुमार के ममेरा भाई नीतिश कुमार का हस्ताक्षरन
11	प्रदर्श 2/1	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर pw2 नीतिश कुमार का हस्ताक्षर
12	प्रदर्श 5/1	Pw5 रानी देवी के पहचान पर लिखित बयान पर बनाये गये साक्षी का हस्ताक्षर
13	प्रदर्श p1/pw6	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

डी. वस्तु प्रदर्ष

कमांक	प्रदर्ष	विवरण
Nil	Nil	Nil

उमेश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
दिनांक– 17.08.2026